आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

जून 2022

क्रान्ति

मासिक

जल संरक्षण :
चिंताएं और जवाबदेही का दायरा

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 31 अंक 12 जून 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

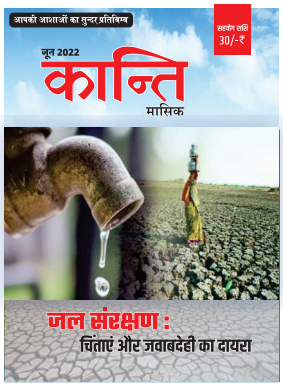

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
अज्ञान और ईश्वर की अवधारणा
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
सफल समाज की बुनियाद
प्रो॰ मोहसिन उस्मानी नदवी

सौंदर्य बोध 11
शक्ति और क्षमा
गुलज़ार सहराई

मुख्य स्तंभ 13
जल संरक्षण : चिंताएं और जवाबदेही का दायरा
सुफ़ियान अहमद

विश्लेषण 17
स्थिति क्यों है गंभीर?
संपादन प्रभाग

निष्कर्ष 23
दीर्घकालीन योजना ज़रूरी
प्रो॰ ज़फ़ीर अहमद

समाधान 26
आदर्श मूल्यों को व्यवहार में लाना ज़रूरी
संपादन प्रभाग

कविता 29
''जल जीवन-आधार है''
डॉ॰ योगेन्द्र नाथ शर्मा

समसामयिक 30
सवाल हलाल का...
संपादन प्रभाग

ज्वलंत 32
हेट स्पीच: कैसे लगे लगाम?
सुफ़ियान अहमद

सद्भावना 35
'अमानती मस्जिद' का अमीन
संपादन प्रभाग

सेहत 37
पानी पीने में न करें, मनमानी
संपादन प्रभाग

करियर 39
विदेशी भाषाओं में बेहतर भविष्य
संपादन प्रभाग

शिक्षा विमर्श 42
पढ़ो! अपने रब के नाम के साथ...
नईम अलहिन्दी

कहानी 47
ठाकुर का कुआं
मुंशी प्रेमचंद

आख़िरी पन्ना 49
अंधकार से प्रकाश की ओर
नसीम ग़ाज़ी

मूल प्रश्न



अज़ान और ईश्वर की अवधारणा



शिब्ली अरसलान

इस संक्रमण के दौर में किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर राजनीतिक और चुनावी विश्लेषण से हट कर ठंडे मन से सोचना और बोलना बहुत मुश्किल काम है। हमारी सोच को चुनावी राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इतना दूषित कर दिया है कि हम सभ्य कहलाने वाले लोग भी किसी मुद्दे को वैचारिक चिंतन और गंभीर विमर्श का विषय नहीं बना पाते। मुद्दा हिजाब का हो या धर्म संसद का या फिर ताज़ा अज़ान पर विवाद का, हम ठंडे मन से विश्लेषण के लिए तैयार ही नहीं होते, उत्तेजित होकर सोचने-बोलने के लिए अभ्यस्त हैं।

अज़ान पर उठे हालिया हंगामे पर एक पॉपुलर विचार तो ईर्ष्या और नफ़रत पर आधारित है। ये कहना कि अगर अज़ान पांच वक़्त लाउड स्पीकर पर होगी तो हनुमान चालीसा भी मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाएगी, ईर्ष्या और विशुद्ध नफ़रत को दर्शाता है। किसी सभ्य और आधुनिक समाज में इस प्रकार की सांप्रदायिक नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर अज़ान आवश्यक है या नहीं, इस पर चर्चा तो हो सकती है मगर अज़ान एक धार्मिक अमल है, ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि नमाज़ का वक़्त होने और मुसलमानों को मस्जिद की तरफ़ बुलाने की पुकार है। यदि हनुमान चालीसा भी ऐसा ही धार्मिक अनुष्ठान है तो ज़रूर लाउड स्पीकर पर पढ़ें मगर इसका क्या लॉजिक है कि अज़ान के मुक़ाबले में पढ़ी जाएगी....? एक विचार ध्वनि प्रदूषण के हवाले से पेश किया जाता है। मगर अज़ान से होने वाले शोर और पर्व त्योहारों व उत्सवों से होने वाले शोर का कोई मुक़ाबला नहीं। लाउड स्पीकर से होने वाली अज़ान और भजन पर पाबंदी और पर्व त्योहारों पर दिन-दिन भर कान-फाड़ू गाने, कीर्तन और म्यूज़िक पर कोई लगाम नहीं, हास्यास्पद है।

अज़ान के बारे में किसी हद तक एक गंभीर विचार वो है जो कुछ हिंदू धार्मिक संगठनों और साधु-संतों के मीडिया डिबेट से सामने आया है। उन्हें कुछ बुनियादी क़िस्म की ग़लतफ़हमी और वैचारिक उलझन है। वे ये कह रहे हैं कि अज़ान में मुसलमान ये घोषणा करता है कि 'उनके' अल्लाह और मुहम्मद के सिवा कोई कुछ नहीं है। फिर वो 'तेरा ख़ुदा और मेरा ख़ुदा' की बेकार की



बहस में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ बिगड़े हुए गुमराह युवा तो मुस्लिम नफ़रत में 'अल्लाह' को गाली बकने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ और कमेंट्स भी मैंने देखे। एक बार एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता किसी टीवी डिबेट में, किसी मौलवी साहब से ये कह रहे थे कि जैसे तुम्हारा अल्लाह है, वैसा मेरा राम है...सोशल मीडिया से ये अंदाज़ा भी होता है कि अच्छे-ख़ासे आम हिंदू-मुसलमान भी इसी अज्ञानता में भटक रहे हैं।

मुसलमान जिस हस्ती को अल्लाह कहता है, वो तो वास्तव में ईश्वर की अरबी शब्दावली है, जो सर्वशक्तिमान है, वो जो इस सृष्टि का रचयिता है, वो जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है, वो तो सारे धर्मावलंबियों के नज़दीक एक ही है। ये बेचारे नादान जब अल्लाह को गाली देते हैं तो ये अस्ल में ईश्वर को गाली देते हैं, अतः ये बेचारे तरस योग्य हैं। इस्लाम की असहमति हिन्दू विश्वास से अल्लाह/ईश्वर को लेकर क़तई नहीं है, असहमति तो वास्तव में हिन्दू भाइयों द्वारा ढेरों ऐतिहासिक और पौराणिक इंसानी किरदारों को ईश्वर का अवतार मानने से है, राम, कृष्ण ऐसे ही इंसानी किरदार हैं। यही समस्या मुहम्मद (सल्ल.) के समय अरबों में थी। अरब ग़ैर-मुस्लिम, 'अल्लाह' शब्द, ईश्वर के लिए प्रयोग करते थे। क़ुरआन ने बारंबार यही तो समझाया कि हमारा-तुम्हारा सब का अल्लाह/ईश्वर एक है जो सबका पालनहार है। मुसलमानों को चाहिए कि ईश्वर/अल्लाह पर यूं गुफ़्तगू न करे कि 'तेरा ख़ुदा और मेरा ख़ुदा' का मसला बन जाए। ईश्वर हमारे अंदर की ख़ूबसूरत तलब और पुकार है, इस पर छीछालेदर से बड़ी बदसूरती फैलती है। हां, ईश्वर की 'दरयाफ़्त' पर अपना मुशाहिदा और तजरुबा ज़रूर शेयर करें, इससे ईश्वर के सानिध्य की चाह पैदा होती है जो बड़ी ख़ूबसूरत बात है। क़ुरआन का कंसर्न हिन्दू-मुसलमान या मुस्लिम-ग़ैर-मुस्लिम है ही नहीं, वो पूरी मानवता (अरबी शब्द-अन्नास) को एड्रेस करता है। क़ुरआन का क्लेम ये है कि वो इस सृष्टि के रब यानी रचयिता की वाणी है, इसलिए वो पूरी मानवता की भलाई के लिए है।

मोमिन और काफ़िर की वो परिभाषा क़ुरआन नहीं करता जो हम करते हैं, इसलिए क़ुरआन को समझने और उसके दावे को चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका अध्ययन उसके दावे के तहत रहकर किया जाए और फिर इसी हवाले से सवाल उठाए जाएं। अगर इसे शेख़ जुम्मन और जुमराती मियां की मज़हबी किताब मान कर देखने की कोशिश करेंगे तो यक़ीनन अर्थ विस्तार के नाम पर अनर्थ करेंगे। किसी भी चीज़ को उसके दावे की रोशनी ही में चेक किया जाएगा। क़ुरआन उसे 'मोतीअ, मोमिन और मुस्लिम' कहता है, जो अपनी निरंकुशता त्याग कर ईश्वर के सामने सरेंडर करता है और जिन्होंने अहंकार दिखाया और मानने से इंकार किया उसे काफ़िर कहा गया है। न मुस्लिम किसी नसली संप्रदाय का नाम है और न काफ़िर किसी कम्युनिटी का नाम। दोनों कैरेक्टर का नाम है। मुहम्मद जुम्मन भी किसी हुक्म को न मानें तो उस मामले में उसने कुफ़्र यानी न मानने का रवैया इख़्तियार किया। ■■

उन्हें कुछ बुनियादी क़िस्म की ग़लतफ़हमी और वैचारिक उलझन हैं। वे ये कह रहे हैं कि अज़ान में मुसलमान ये घोषणा करता है कि 'उनके' अल्लाह और मुहम्मद के सिवा कोई कुछ नहीं है। फिर वो 'तेरा ख़ुदा और मेरा ख़ुदा' की बेकार की बहस में व्यस्त हो जाते हैं।

ADAM'S HOME ENGLISH MISSION SCHOOL

Noornagar,Near Waris Colony Mango,Jamshedpur



Providing :Value based Education,
Personalised Care and Individual Attention,
Experrienced,Dedicated, and Committed Staff.





No Objection Certificate (NOC) granted by Govt.Of Jharkhand for affiliation to ICSE board New Delhi

Choudhary Hasibur Rahman
Secretary
Mob.:9934176679

Prof. Susanna Hansdak
Director
Mob.:9431154812

Run & Managed By:
Noorun Nisa Education & Welfare Society(Regd.)
Ph:0657 6419169



चिंतन



प्रो. मोहसिन
उस्मानी नदवी

सफल समाज की बुनियाद

इन्सानों के बीच अच्छे आपसी संबंध, लोगों की सेवा, आपसी हमदर्दी, सद्भावना और शांति हमेशा एक सफल समाज की बुनियादी ज़रूरतें रही हैं। दुनिया के सभी धर्मों ने इन्हें महत्वपूर्ण माना है और इन्हें अपनाने पर ज़ोर दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि किसी अन्य धर्मों ने इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया जितना इस्लाम ने दिया है, यह मुसलमानों के सामूहिक कार्यों से ग़ायब रहा और यह दरवाज़ा बंद रहा है। भारत की वर्तमान विकट परिस्थितियों में यही एकमात्र रास्ता है जिसके ज़रिये मुसलमान नफ़रत के माहौल को बदल सकते हैं और लोगों के दिलों पर अपनी नैतिकता की छाप छोड़ सकते हैं। अच्छे संबंधों और समाज सेवा के माध्यम से, हम इस्लाम विरोधी माहौल को बेहतर ढंग से बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से, यह दरवाज़ा लंबे समय से बंद है। वफ़ादारी और मानव गरिमा ऐसा बिंदु है जो



इस्लामी शिक्षाओं में हर जगह प्रमुखता से स्पष्ट है। मानवता उपकारक, हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने ''अल-ख़ल्क़ु अयालिल्लाह'' कहकर सारे इन्सानों को एक परिवार बना दिया।

भारत की प्राचीन सभ्यता और सनातन संस्कृति की भी यही पहचान रही है। यहां की अधिकांश आबादी मानवता, नैतिकता, दया, धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता में विश्वास रखती है, हालांकि एक वर्ग भारत की इस सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है और ऐसा करने में वह कुछ हद तक कामयाब भी नज़र आता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल चुनाव और राजनीति ही मुसलमानों की समस्या का समाधान नहीं है।

हालात ने ऐसा सांप्रदायिक रंग ले लिया है कि इस देश में चुनाव वास्तविक मुद्दों के बजाय भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं और अगर हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उठाया जाता है तो सांप्रदायिक ताक़तों के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यह भी अपनी जगह सच है कि यहां शराफ़त का सम्मान भी पाया जाता है। धर्म संसद द्वारा रक्तपात की घोषणा और धमकियों ने हर न्यायप्रिय नागरिक के दिल को मसोस कर रख दिया। इसके ख़िलाफ़ होने वाले विरोध प्रदर्शनों से यह बात साबित होती है कि देश का सामूहिक स्वभाव अभी भी काफ़ी हद तक अपनी अस्ल जड़ों से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की हिमायत करने वाले अभी भी बहुत हैं। हालांकि उनकी संख्या घटती जा रही है। इन नेक और शरीफ़ लोगों को एकजुट करने की ज़रूरत है।

देश में इसी भावना को जीवित रखने एवं अंतर-धार्मिक साझे मूल्यों और साझे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, देश के कुछ जागरूक और समझदार लोगों ने ''ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल'' स्थापित करने का फ़ैसला किया है और यह भी फ़ैसला किया है कि इस काम को पूरे देश में फैलाना है ताकि इस महान कर्तव्य को कुछ हद तक पूरा किया जा सके और देश के माहौल को सुखद बनाया जा सके। मानवता की सेवा हो सके और मुसलमान इस देश में अपनी धर्म और सांस्कृतिक पहचान के साथ रह सकें और देश एवं समाज दोनों की सेवा कर सकें। यह संस्था पंजीकृत भी हो गई है और इसकी विवरिणा प्रकाशनाधीन है।

क़ुरआन और हदीस से भी समाज सेवा के कार्यों का महत्व स्पष्ट है। दुर्भाग्य से, मुसलमानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वे अपने देशबंधुओं के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सके और न ही अपने धर्म को लोगों के लिए आकर्षक बना सके। परिस्थितियों ने अब बेहद ख़तरनाक मोड़ ले लिया है, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर अंधेरी रात के बाद दिन दिखाई

देता है। अस्ली काम सही रास्ता और सही समाधान खोजना है। मुसलमानों के लिए एक ही रास्ता है कि वे देशबंधुओं के बीच उतरें, उनसे संवाद करें और उनके दिलों में जगह बनाएं। लोगों की सेवा करें। मुसलमानों को अपने अंदर जो कार्य करना है वह शिक्षा और नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाने का काम है। अब ग़ैर-मुस्लिम समाज में काम करने का सिर्फ़ यही एक रास्ता है, जो खुला हुआ है।

इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया है, ''सय्यिदिल क़ौम ख़ादिमुहुम''। पता चला कि मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करें। उन्हें चाहिए कि वे अपने कार्य, व्यवहार, चरित्र और साहित्य के माध्यम से अपना और अपने धर्म का परिचय दें। यदि मुसलमानों ने केवल अपने दायरे में काम किया जैसा कि मुस्लिम संगठन करते हैं, तो मंज़िल तक पहुंचना नसीब नहीं होगा।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि राष्ट्रों के जीवन में कभी एक ऐसा क्षण आता है कि यदि सही निर्णय लिया जाए तो राष्ट्र सदियों आगे चला जाता है। भारत में, वह क्षण आ गया है और सही निर्णय लेना है। अब नौजवानों को आगे आना होगा। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम या सभा करें तो बड़ी संजीदगी के साथ ग़ैर-मुसलमानों को आमंत्रित करें और उनके साथ संबंध स्थापित करें। मौजूदा मुस्लिम संगठनों के पास सही योजना नहीं है। उन्होंने नबियों के काम को अपना आदर्श नहीं बनाया है। इस समय मुसलमानों को चाहिए कि जल्द से जल्द योजना बनाएं और इन्सानियत को अल्लाह का कुन्बा (परिवार) समझें। विरोधियों को जो शक्ति हरा सकती है वह है नैतिकता और समाज सेवा। मुसलमानों को यह सब फौलादी इरादों से करना है और ग़ैर-मुस्लिम समाज में उतरना है।

पैग़म्बरों के जीवन से जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पष्ट होती है, वह है अपार मानवीय करुणा। दुर्भाग्य से हर मुसलमान अपने-आपको एक बुझा हुआ दिया समझने लगा है और परिस्थितियों द्वारा पैदा किए गए इस अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी बनने को तैयार नहीं है। देशबंधुओं से संबंध मज़बूत करने का कार्य मुसलमानों के पक्ष में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने-अपने मोहल्ले की मस्जिदों में कमेटी बना लें और आस-पड़ोस के ग़ैर-मुस्लिम भाइयों से जुड़ें। उन्हें इस्लाम, मुसलमान और मस्जिद से परिचित कराएं। साथ ही समाज सेवा का कार्य भी करें।

बद्र की लड़ाई में जब कुछ क़ैदी पकड़े गए तो मुसलमानों ने उनके आराम का इतना ख़्याल रखा था कि ख़ुद भूखे सो गए, लेकिन उन्हें खिलाया-पिलाया। मुसलमानों द्वारा समाज सेवा का कार्य सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इस लेख को देखने वाला हर व्यक्ति मस्जिद को केंद्र बनाकर काम शुरू कर सकता है। उसे किसी नेता का इंतेज़ार करने की ज़रूरत नहीं। भारत के मुसलमान कुछ अपनी ग़लतियों और कुछ दूसरों की ''मेहरबानियों'' से अंधे कुएं में डाल दिए गए हैं। समाज सेवा और दिलों को जीतने और रिश्तों को मज़बूत करने की जो राह बताई गई है का तरीक़ा अंधे कुएं से निकलकर यूसुफ़ कन्आं बनने की राह है। आज मुसलमान एक बंद गली में हैं और ताक़त और तरक़्क़ी की ओर आगे बढ़ने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। इस बंद दरवाज़े को खोलना ज़रूरी है।

■■



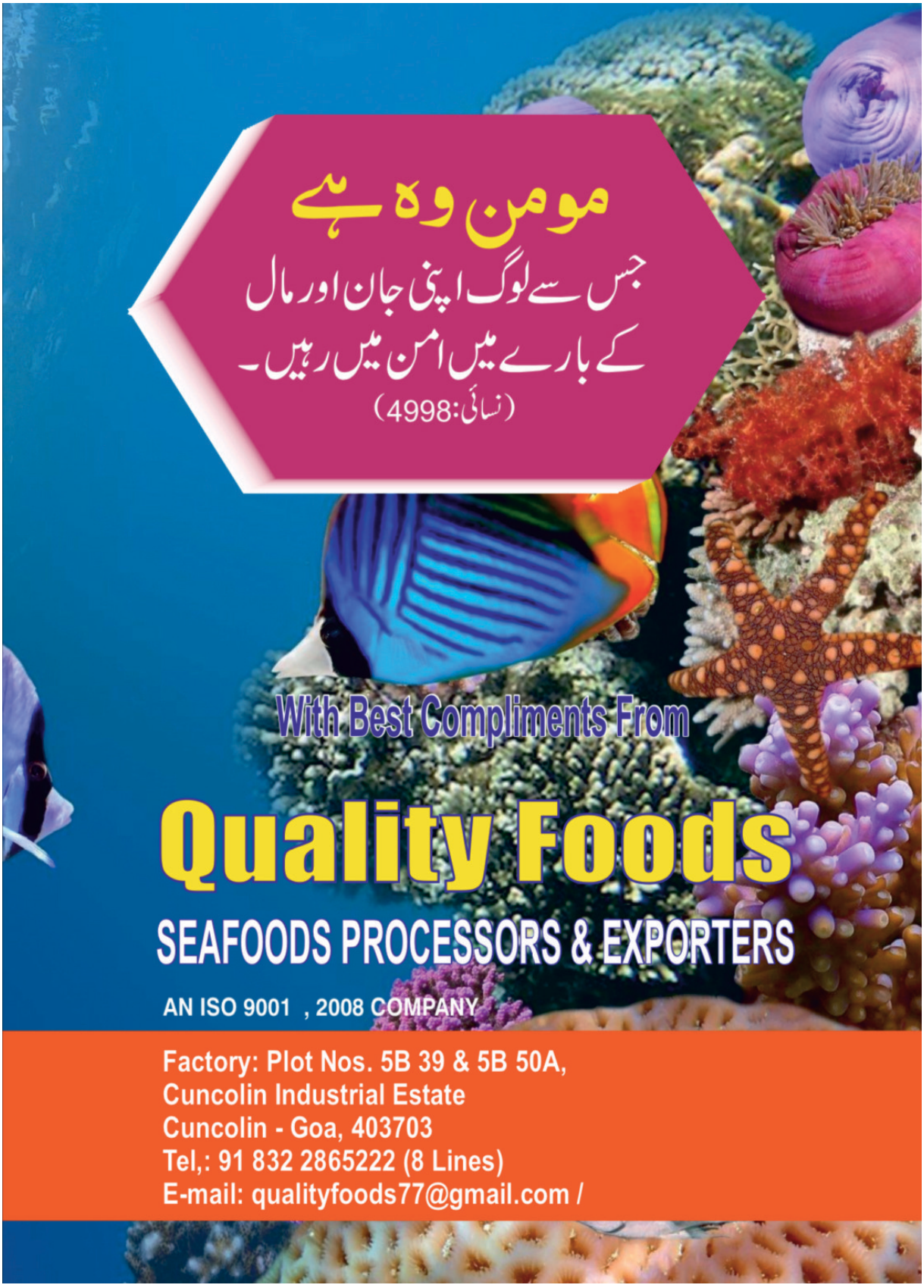
مومن وہ ہے
جس سے لوگ اپنی جان اور مال
کے بارے میں امن میں رہیں۔
(نسائی:4998)
With Best Compliments From
Quality Foods
SEAFOODS PROCESSORS & EXPORTERS
AN ISO 9001 , 2008 COMPANY
Factory: Plot Nos. 5B 39 & 5B 50A,
Cuncolin Industrial Estate
Cuncolin - Goa, 403703
Tel,: 91 832 2865222 (8 Lines)
E-mail: qualityfoods77@gmail.com /



सौंदर्यबोध



गुलज़ार सहराई

शक्ति और क्षमा

जब भी हम 'माफ़ी' या 'क्षमा' शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने किसी निर्बल और असहाय व्यक्ति की तस्वीर उभरती है, जिसमें किसी ज़ालिम को क्षमा करने को कहा जा रहा हो। वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे समाज में यही प्रचलित भी है कि यदि कोई ताक़तवर किसी कमज़ोर के साथ अन्याय एवं अत्याचार का रवैया अपनाता है, तो समाज के लोग उस ज़ालिम से कुछ कहने के बजाय उसी पीड़ित व्यक्ति से कहते हैं कि वह अपने साथ हुए अन्याय एवं अत्याचार के लिए उसे क्षमा कर दे और 'माफ़ी' की महिमा बताते हुए उसका 'अज्र' (प्रतिदान) और 'सवाब' (पुण्य) भी गिनाने लगते हैं।

वास्तव में ऐसे लोग डरपोक और कायर होते हैं, क्योंकि वे किसी ज़ालिम का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं रखते, यही नहीं, वे इतना भी साहस नहीं रखते कि ज़ालिम के सामने उसे ज़ालिम कह सकें, इसलिए अपनी कायरता को इस कथित 'क्षमा' के परदे के पीछे छिपाना चाहते हैं। परन्तु वे यह नहीं जानते कि सज़ा देने की शक्ति रखते हुए क्षमा कर देना ही अस्ल क्षमादान है। निर्बल और असहाय की क्षमा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति तो सज़ा देने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, अर्थात् उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, सिवाय चुप रहकर सब्र करने के, इसलिए उसका माफ़ करना या न करना एक समान होता है।

इस्लाम ने 'माफ़ी' की जो महिमा बयान की है और उसका बड़ा अज्र बयान किया है, उसका उपदेश भी सामर्थ्यवान लोगों को ही दिया है कि वे अपने नौकरों, दासों आदि के साथ नर्म रवैया अपनाएं और उनकी ग़लतियों को माफ़ कर दिया करें। यह नहीं कहा कि ताक़तवर ज़ालिम कुछ भी करें,

समाज के लोग कमज़ोर और पीड़ित को 'माफ़ी' की दुहाई देकर उसके साथ हुए ज़ुल्म की अनदेखी कर जाएं, और अगर कोई कमज़ोर और पीड़ित अपने दुख के कारण यह कह दे कि वह अपने ज़ालिम को कभी माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उसका मामला वह अल्लाह पर छोड़ता है, तो समाज के ये 'सभ्य' लोग उसकी ही भर्त्सना करने लगें मानो उसने माफ़ करने से इन्कार करके कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। क़ुरआन की जिस आयत को पीड़ित को सब्र करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसके शब्द इस प्रकार हैं–

"और यदि तुम बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, किन्तु यदि तुम सब्र करो तो निश्चय ही यह सब्र करने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है।"

(क़ुरआन, 16:126)

स्पष्ट रहे कि इस आयत में किसी कमज़ोर और असहाय को यह नसीहत नहीं की जा रही है, क्योंकि वह बेचारा तो बदला लेने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, बल्कि सामर्थ्यवान से यह कहा जा रहा है कि बदला लेने की सामर्थ्य रखते हुए अगर वह बदला न ले और सब्र से काम ले तो यह ज़्यादा अच्छा है, लेकिन समाज के रवैये से तो यही लगता है मानो सब्र करना और क्षमा करना पीड़ित के लिए अनिवार्य हो।

यह सच है कि इस्लाम में माफ़ी अर्थात् क्षमा की बहुत महिमा बयान की गई है, परन्तु ग़ौर करने की बात यह भी है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिस 'आम माफ़ी' का उल्लेख किया जाता है, वह मक्का पर विजय के बाद इस्लाम-दुश्मनों को दी जाने वाली 'आम माफ़ी' है। ज़ाहिर है कि यह 'माफ़ी' उस समय दी गई जब मक्का पर मुसलमानों को पूरी तरह सत्ता प्राप्त हो गई थी। ऐसे में



अल्लाह के रसूल (सल्ल.) चाहते तो एक-एक से बदला ले सकते थे और जो चाहते उन्हें सज़ा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ताक़त और अधिकार रखते हुए सबको माफ़ करके महानता का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसकी मिसाल नहीं मिलती।

महानता इसी में है भी कि ताक़त रखते हुए माफ़ किया जाए। इससे ग़लती करने वाले पर प्रभाव भी पड़ता है, जबकि कमज़ोर से ज़ालिम को माफ़ी दिलवाने से ज़ालिम के हौसले बुलन्द होते हैं, और पीड़ित को केवल कुंठा मिलती है। वह समाज के दबाव में भले ही चुप रह जाए, या ज़बान से माफ़ भी कर दे, लेकिन उसका दिल कभी माफ़ नहीं करता, बल्कि वह तो केवल सब्र करता है और अपनी बारी की प्रतीक्षा। यह बारी इहलोक में आए या न आए, परलोक में अवश्य आएगी। इसलिए किसी निर्बल का अधिकार हनन या उसपर अत्याचार करते समय इन्सान को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि किसी कमज़ोर पर किये गये अन्याय एवं अत्याचार के लिए क्षमा-याचना करना काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी भरपाई करना अनिवार्य है। अब यह इन्सान पर निर्भर है कि यह भरपाई इहलोक में करना पसन्द करेगा या परलोक में।

समाज का भी कर्तव्य है कि किसी ताक़तवर ज़ालिम को किसी कमज़ोर पर अत्याचार करते देखे तो कमज़ोर को सब्र और माफ़ी की महिमा बताने के बजाय उसे न्याय दिलाने का प्रयास करे, ज़ालिम को ज़ुल्म से रोके और पीड़ित का साथ दे, उसके घावों पर न्याय का मरहम लगाए, न कि उल्टे उसे ज़ालिम को माफ़ करने की दुहाई देकर उसके घावों पर नमक छिड़कने का काम करे। हमारे समाज में अन्याय एवं अत्याचार के फलने-फूलने का एक बहुत बड़ा कारण कायर समाज की माफ़ी के प्रति यह ग़लत अवधारणा भी है। यदि समाज के लोग 'माफ़ी' की सही अवधारणा से अवगत हो जाएं तो बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ■■



जल संरक्षण :

चिंताएं और जवाबदेही का दायरा

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

पृथ्वी पर जीवन और इस जीवन से जुड़ी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल, उसकी उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर शायद ही किसी को कोई संदेह या भ्रम हो। दुनिया इसके सदुपयोग और संरक्षण की बात को भी स्वीकार करती है। आम तौर पर लोग इसके दुरुपयोग और कुप्रबंधन के बारे में भी जानते हैं और भविष्य में आने वाले जल संकट की आशंकाओं से भी लोगों को इन्कार नहीं है। लगातार इसके दूषित होने और दोहन के परिणाम भी लोगों के सामने आने लगे हैं। इसे सहेजने से जुड़ी चिंताओं और गंभीर आशंकाओं पर दुनिया भर के सभी राजनीतिक और धार्मिक नेता लगभग एकमत हैं।

जब हम जल या पानी की बात करते हैं तो आमतौर हमारा आशय पेयजल या उपयोग में लाए जाने वाले जल से होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सा ही स्वच्छ या पेयजल है। यह जल प्रतिदिन लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का



साफ़ पानी नसीब नहीं है। इसी प्रकार जल से संबंधित और भी गंभीर प्रकार के तथ्य मौजूद हैं।

यह सारे तथ्य अपनी जगह पर हैं, लेकिन सवाल उठता है आज जल संरक्षण के मुद्दे को लेकर हम, हमारा समाज, हमारे राजनेता और नीति निर्माता कितने गंभीर व जागरूक हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारे आज के धार्मिक नेता और आस्था-आधारित संगठन जल संरक्षण की दिशा में भी गंभीरतापूर्वक सक्रिय हैं। भविष्य में गंभीर जल संकटों के बारे में हमारे धार्मिक नेताओं और संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है? वे जल संरक्षण के मुद्दों को अनुयायियों के सामने कैसे रखते हैं?

दुनिया के विभिन्न धर्मों में भी जल संरक्षण संबंधी उल्लेख मिलता है और इसकी की बर्बादी को पाप समझा जाता है। सवाल उठता है कि क्या हम अपने अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की भांति तुलनात्मक रूप से इस दिशा में भी जागरूक हैं? क्या हम इस दिशा में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अभ्यास कर रहे हैं? हमारे आस-पास जल संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहें हैं, क्या उन प्रयासों के ज़रिये जल संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है? जन सामान्य की एक इकाई के रूप इस दिशा में हमारी भूमिका क्या है?

आज लगभग हर व्यक्ति जल का दुरुपयोग कर रहा है। स्नानागार, शौचालय, रसोई घर से खेतों और बाग़ीचों की सिंचाई तक में जल का दुरुपयोग हो रहा है। हर जगह जल का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। जल का अंधाधुध दोहन करने के साथ-साथ हमने नदियों, तालाबों, झरनों आदि के अपने पारम्परिक जल स्रोतों को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

इस समय दुनिया भर में लगभग दो अरब से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा और साफ़ पेयजल उपलब्ध न होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर असमय अपनी जान गवां रहे हैं। बात यदि भारत के संदर्भ में करें तो हमारा देश वर्ष 2011 से ही जल संकटग्रस्त देशों की सूची में शामिल है। आज स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र हो या राजस्थान, बिहार हो या झारखंड या फिर देश की राजधानी दिल्ली, प्रतिवर्ष विशेषकर गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों में पानी को लेकर हाहाकार मच जाता है।

कुछ साल पहले महाराष्ट्र, चेन्नई और शिमला जैसे पर्वतीय क्षेत्रों तक में गहराये जल संकट हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त थे, किन्तु फिर भी इससे निपटने के लिए सामुदायिक तौर पर कोई गंभीर प्रयास होते नहीं दिख रहे। जन सामान्य से लेकर सरकारों तक की उदासीनता का ही नतीजा है कि भारत में बहुत सारे शहर अब गंभीर जल संकट की कगार पर खड़े हैं।

सवाल उठता है कि जल संरक्षण की चिंताएं हमारे कार्य एवं व्यवहार का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही हैं? आज हम पानी को लेकर चिंतित तो हैं, पर पानी की प्रकृति को समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी इसका सीधा प्रतिकूल असर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी तरह से पानी हम तक पहुंच ही रहा है। इसलिए हम अभी तक

गंभीर नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि हम पानी को गंभीरता से नहीं लेते और उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। हम अभी तक व्यक्तिगत, सामूहिक या संगठित रूप से सक्रिय नहीं हो सके हैं। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां वर्षा बहुत होती है, लेकिन पानी को जोड़ने का काम नगण्य है।

यदि हम प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठा रहे हैं तो उन्हें सहेजने का उत्तरदायित्व भी हमारा है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, जो पृथ्वी



पर जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन चिंतनीय स्थिति यह है कि जल की कमी का संकट न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए एक विकट समस्या बन चुका है। अब समय की यही मांग है कि हम पानी को लेकर नए प्रयोगों और प्रयत्नों में जुट जाएं, वरना जल के लिए हमें भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी। हमें समझ लेना होगा कि पानी की एक-एक बूंद बहुमूल्य है, जिसे सहेजना बहुत ज़रूरी है।

इसके लिए एक ओर जहां पानी की बर्बादी को रोकने पर ज़ोर दिया जाना ज़रूरी है तो दूसरी ओर वर्षा के पानी के संरक्षण पर ख़ास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। व्यर्थ बहकर नदियों में जाने वाले पानी का संरक्षण करके उससे पानी की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और इस तरह जल संकट से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। इसके लिए सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर पर व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। बिना जल संरक्षण के जल संकट की हमारी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी प्रकार जल की बर्बादी को रोकने के लिए भी व्यापक उपाय ज़रूरी हैं। जल संरक्षण और जल की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए लोगों का अनुशासित होना बेहद ज़रूरी है। पानी की बर्बादी पर नियंत्रण लगना ही चाहिए। इसकी बर्बादी को निश्चित रूप से क़ानून के दायरे में भी लाया जाना चाहिए।

आवश्यकता इस बात की भी है कि सभी राज्यों पर एक कर्तव्य और दायित्व के रूप में उनका जल ऑडिट होना चाहिए कि वे कितना पानी भोगते और जोड़ते हैं। हमारे जितने भी बड़े जल आधारित कार्य हैं, चाहे वह खेती-बाड़ी हो या उद्योग, इनको भी नियमों के दायरों में लाना होगा, ताकि पानी की वापसी भी संभव हो सके और आने वाले गंभीर जल संकट से हमें राहत मिल सके। ■■

“विभिन्न धर्मों में भी जल संरक्षण संबधी उल्लेख मिलता है और इसकी की बर्बादी को पाप समझा जाता है। सवाल उठता है कि क्या हम अपने अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की भांति तुलनात्मक रूप से इस दिशा में भी जागरूक हैं? क्या हम इस दिशा में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अभ्यास कर रहे हैं? हमारे आस-पास जल संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहें हैं, क्या उन प्रयासों के ज़रिये जल संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है? जन सामान्य की एक इकाई के रूप इस दिशा में हमारी भूमिका क्या है? सवाल यह भी उठता है कि जल संरक्षण की चिंताएं हमारे कार्य एवं व्यवहार का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही हैं? आज हम पानी को लेकर चिंतित तो हैं, पर पानी की प्रकृति को समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम पानी को गंभीरता से नहीं लेते और उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। हम अभी तक व्यक्तिगत, सामूहिक या संगठित रूप से सक्रिय नहीं हो सके हैं। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां वर्षा बहुत होती है, लेकिन पानी को जोड़ने का काम नगण्य है। सवाल है कि क्या हमारे धार्मिक नेता और आस्था-आधारित संगठन जल संरक्षण की दिशा में भी गंभीरता पूर्वक सक्रिय हैं। भविष्य में गंभीर जल संकटों के बारे में हमारे धार्मिक नेताओं और संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?वे जल संरक्षण के मुद्दों को अनुयायियों के सामने कैसे रखते हैं?”





شمال مشرقی ہند میں علم وادب اور انفارمیشن ٹکنالوجی کا ایک ممتاز تعلیمی وفلاحی رجسٹرڈ ٹرسٹ

مرکزِ ادب و سائنس

تعلیمی و فلاحی رجسٹرڈ ٹرسٹ، رانچی

रा.इ.सू.प्रौ.सं
NIELIT





چند حقائق:

چار شعبے: (الف) تقابلی مذاہب، (ب) ادبیات
(ج) کیریر گائڈنس اور ٹریننگ، (د) تحقیقی اشاعت

- اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے کورسیز: CIT,BCA,MCA,MBA وغیرہ۔
- قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت تعلیم حکومت ہند کے کورسیز: CABA-MDTP نیز NIELIT چنڈی گڑھ، وزارت انفارمیشن ٹکنالوجی، حکومت ھند۔
- مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (مانو کوڈ 158) کانٹاٹولی چوک، ایم۔اے (اردو انگریزی، تاریخ)، ٹیچ انگلش، صحافت وابلاغ عامہ، ٹورزم مینجمنٹ، بی۔اے وغیرہ۔
- NCPUL یک سالہ الیکٹرونکس ریپیر اینڈ مینٹیننس کورس (DREAM)

قائم شدہ چند اہم ادارے:

- ★ (اگنو) اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، کوڈ (0531-D) کانٹاٹولی چوک۔
- ★ (مانو) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، کوڈ (158) کانٹاٹولی چوک۔
- ★ سجاد کمپیوٹر ٹریننگ اینڈ گائڈنس سنٹر (SCTGC) بریاتو۔
- ★ سجاد انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹکنالوجی (SIIT) کانٹاٹولی۔
- ★ نائلٹ 'او' اور 'اے' لیول اکریڈیٹیڈ انسٹی ٹیوٹ
  اکریڈیشن نمبر: 'O-2037' اور 'A-2136'





پروفیسر احمد سجاد کی تازہ ترین تصانیف: ☆ بندۂ مومن کا ہاتھ ☆ جھارکھنڈ میں اردو نثر وشاعری کی سمت ورفتار 1960ء کے بعد ☆ جنوبی ہند کا ایک علمی وادبی سفر ☆ کیا برصغیر کی اردو آبادی عذاب مسلسل کا شکار ہے؟ ☆ اکیسویں صدی کا چیلنج اور ملی تعلیمی ایجنڈا ☆ اردو زبان وادب کے فروغ وارتقا میں اسلامی تہذیب کا کردار

رابطہ: ★ سنڈیکیٹ لین، عقب جے۔جے سیلس، کانٹاٹولی چوک، رانچی۔834001 (جھارکھنڈ)
فون: 0651-2532060,2530522 (موبائل) 09431587148
★ 2K/3، بریاتو ہاؤسنگ کالونی، رانچی۔834009 (جھارکھنڈ)
فون: 0651-2543838,2540534 (موبائل) 09835136361
ای میل markazadab@yahoo.com، ویب سائٹ: http://www.markazadab.org

विश्लेषण

संपादन प्रभाग



स्थिति क्यों है गंभीर ?

वर्तमान समय में जल संकट दुनिया के कोने-कोने में पसर चुका है। कुछ देशों में यह विकराल रूप लेता जा रहा है और लोगों को स्वच्छ जल मिलना कठिन होता जा रहा है। निसंदेह अब जल संबंधी चुनौतियां गंभीर हो गई हैं। अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आज भूजल पर निर्भर होता जा रहा है। आज भूगर्भीय जल ही मानवीय जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत है। दुर्भाग्य से दुनिया में आधुनिक जीवनशैली ने भूगर्भीय जल के दोहन को बेलगाम तरीक़े से बढ़ाने के साथ-साथ उन तमाम जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी उदासीन कर दिया है जो भूगर्भीय जल का स्तर बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

इस संदर्भ में नदियों, तालाबों, झीलों, झरनों, जलाशयों और जोहड़ों का विशेष योगदान था, जो वर्षा जल संग्रहित करके रखते थे और इस तरह भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने में मदद करते थे। जिन इलाक़ों में नलों के माध्यम से पानी पहुंच गया, वहां नागरिक और प्रशासन दोनों ही प्राचीन जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति उदासीन हो गए। रही-सही कसर पूरी कर दी बिना नियंत्रण के खुदते नलकूपों ने, जो धरती के अंदर का पानी तो बाहर उलीच देते हैं, लेकिन धरती के अंदर पानी का स्तर बचाए रखने में कोई भूमिका नहीं निभा पाते।

औद्योगीकरण, शहरीकरण, जीवन

स्तर के बढ़ते मानकों और विभिन्न अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन किए जाने के साथ-साथ उन्हें दूषित भी किया जा रहा है। गहराते जल संकट की प्रमुख वजह है, भूमिगत जल का निरन्तर घटता स्तर। जल संकट से बचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम प्राकृतिक जल भंडारण के स्रोतों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते, लेकिन हमने परंपरागत जल स्रोतों के साथ बहुत सौतेला और स्वार्थ भरा बर्ताव किया। पुराने तालाबों, कुंओं, झीलों, बावड़ियों और कुंडों को उपेक्षित छोड़ दिया। नदियों को प्रदूषित कर दिया। विकास के आधुनिक मानदंडों ने प्रकृति की प्राकृतिक जल संपदा पर दोहरा प्रहार किया है। न केवल परंपरागत जल स्रोतों को नष्ट किया गया, बल्कि मनमाने तरीक़े से भूगर्भीय जल का दोहन भी किया गया। असल में जिस दर से भूमिगत पानी का दोहन किया, उस दर से पानी की वापसी के प्रयास नहीं किए गए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी रणनीति में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए या फिर पुनः वापसी की बड़ी पहल का अभाव है।

कहते हैं कि प्रकृति के पास सब प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करने योग्य संसाधन हैं, लेकिन वह लालच किसी का भी पूरा नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से जल उपयोग के संदर्भ में मनुष्य जाति का व्यवहार लालची भी हुआ और लापरवाह भी। लोग पीने, खाना पकाने और कपड़े धुलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते है, लेकिन, इससे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक स्वार्थ के कारण होती है।

मिसाल के तौर पर पिछले बीस वर्षों में बोतलबंद पानी के व्यापार में जो तेज़ी और तरक़्क़ी आई है, वो आश्चर्यजनक है। उल्लेखनीय है कि एक लीटर बोतलबंद पानी तैयार करने में पांच लीटर पानी ख़र्च होता है। एक डाटा के मुताबिक़ दुनिया भर में साल 2004 में 154 अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए 770 अरब लीटर पानी का उपयोग किया गया था। भारत में भी ऐसी प्रक्रिया के लिए 25.5 अरब लीटर पानी बहाया गया।

इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण में भी पड़े पैमाने पर पानी की खपत होती है। आप जो कंप्यूटर, कार का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो जींस पैंट पहनते हैं, उसमें भी हजारों लीटर पानी की खपत हुई होती है। एक कप कॉफी के साथ हम असल में 140 लीटर पानी भी पीते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। इसे आप आभासी खपत कह सकते है लेकिन यह खपत असली है। हम इन उत्पादों के लिए भूजल का दोहन तो करते हैं, लेकिन इसकी वापसी को लेकर हम सक्रिय नहीं हैं।

पानी को लेकर अब कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आने लगे हैं। भारत में एक किलो गेहूं उगाने के लिए क़रीब 1700 लीटर पानी ख़र्च होता है। यानी, अगर हमारे परिवार में एक दिन एक किलो गेहूं की खपत होती है, तो हम उसके साथ क़रीब 1700 लीटर पानी की भी खपत करते हैं। आज, मिस्र दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो गेहूं आयात करता है और चीन भी अब खाद्य उत्पादों का बड़ा आयातक बन गया है, जबकि दुनिया भर में इसके सामान बिकते हैं। सवाल है कि चीन या मिस्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब बहुत ही साधारण है। इन दोनों देशों ने ऐसी सभी फ़सलों का उत्पादन बहुत ही कम कर दिया है, जिसमें पानी की खपत



जल संकट की वैश्विक स्थिति

• पृथ्वी पर कुल जल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3% खारा जल है और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है जिसे पीने योग्य माना जा सकता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो दुनिया के दो अरब लोगों को पीने के लिये स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है जिससे उन्हें हैजा, आंत्रशोध आदि जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है।

• एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य-पूर्व (Middle-East) क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव (Water Stress) की स्थिति होने की संभावना है।

• जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित 17 देश इस प्रकार हैं- क़तर, इज़राइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरीट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, सैन मरीनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बोत्सवाना।

• इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे ज़्यादा होती है।

ये दोनों देश इस तथ्य के बावजूद ऐसा कर रहे हैं कि इनके पास पानी की फ़िलहाल कोई भारी कमीं नहीं है और इनके पास नील और व्हांगहो जैसी नदियां भी हैं। दरअस्ल, ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी बचाने के लिए हो रहा है। कोई देश पानी बचाने के लिए फ़सल ही न उगाए और उसकी जगह उसे दूसरे देशों से आयात करे, तो इससे समझा जा सकता है कि जल संकट को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है?

भारत के सन्दर्भ में देखें तो, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ष 2014-15 में भारत ने क़रीब 37 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। अब 37 लाख टन बासमती चावल उगाने के लिए 10 ट्रिलियन लीटर पानी ख़र्च हुआ। इसे अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत ने 37 लाख टन बासमती के साथ 10 ट्रिलियन लीटर पानी भी दूसरे देश में भेज दिया, जबकि पैसा सिर्फ़ चावल का मिला। यानी, जिस देश ने हमसे चावल ख़रीदा उसे चावल के साथ दस ट्रिलियन लीटर पानी निशुल्क में मिल गया या फिर यह कहे कि उसका इतना ही पानी बच गया। भारत हर साल विदेशों में अनाज बेचकर इस प्रकार भारी मात्रा में पानी का आभासी निर्यात करता है।

ऐसे आभासी पानी और इसके महत्व को समझने में वाटर फुटप्रिंट (जल पदचिन्ह) का अध्ययन हमारे लिए काफ़ी मदगार साबित हो सकता है। वाटर फुटप्रिंट ऐसे ही हर एक उत्पाद और सेवा, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसमें इस्तेमाल किए गए आभासी पानी की गणना करता है। वाटर फुटप्रिंट हमारे सामने कई सारे सवाल उठाता है। जैसे, किसी कंपनी में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का स्रोत क्या है? इन जल स्रोतों की रक्षा के लिए क्या उपाय है?

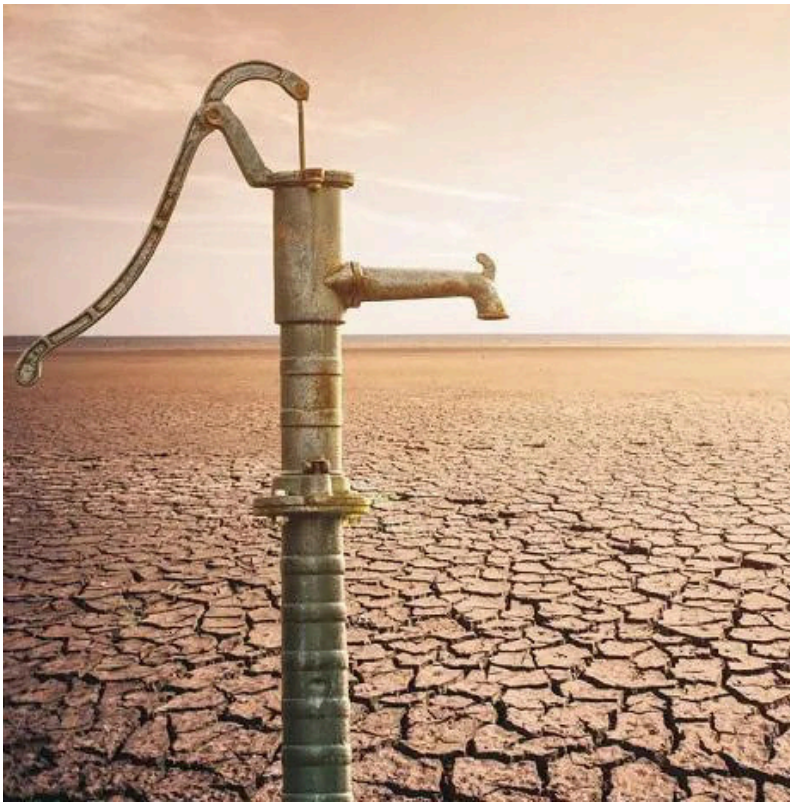



भारत में जल संकट की स्थिति

- देश की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या गंभीर सूखे से प्रभावित हैं। भारत के लगभग 50% क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index) रिपोर्ट के अनुसार, देश के 21 प्रमुख शहरों में निवासरत लगभग 100 मिलियन लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। भारत की 12% जनसंख्या पहले से ही 'डे ज़ीरो' की परिस्थितियों में रह रही हैं। डे ज़ीरो: दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में पानी के उपभोग को सीमित और प्रबंधित करने हेतु सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये डे ज़ीरो के विचार को पेश किया गया था ताकि जल के उपयोग को सीमित करने संबंधी प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ाया जा सके।
- साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग, उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी।
- देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घनमीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घनमीटर रह गई तथा वर्ष 2025 तक इसके और घटकर 1600 घनमीटर रह जाने का अनुमान है।
- हालांकि वर्ष 2019 में नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index -CWMI 2.0) का दूसरा संस्करण तैयार किया जिसमें कुछ राज्यों ने जल प्रबंधन में सुधार किया है।

जल पदचिह्न (Water Footprint) क्या है?

जल पदचिह्न को स्वच्छ जल या मीठा जल की कुल मात्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका उपयोग व्यक्ति या समुदाय द्वारा उत्पादित सामानों और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है या व्यवसाय द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह पानी उपभोग के विनियमन का एक उपाय है जो मानव के जल उपभोग की मात्रा घन मीटर / प्रति व्यक्ति / प्रति वर्ष के सन्दर्भ में बताता है। 1240 घन मीटर / व्यक्ति / वर्ष वैश्विक जल पदचिह्न है।

जल पदचिह्न (Water Footprint) के प्रकार

उपयोग और स्रोतों के आधार पर, जल पदचिह्न (Water Footprint) को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जिसको नीचे व्याख्या की गयी है :

1. ग्रीन जल पदचिह्न (Green Water Footprint): यह उस ताजा पानी की मात्रा को संदर्भित करता है जो वैश्विक हरीत जल संसाधनों जैसे नम भूमि, आर्द्रभूमि, मिट्टी, खेतों आदि से वाष्पित होता है, जो व्यक्ति या समुदाय द्वारा उपभोग किए जाने वाले सामानों और सेवाओं के उत्पादन में होता है। यह कृषि, बागवानी और वानिकी उत्पादों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

2. ब्लू जल पदचिह्न (Blue Water Footprint): यह उस ताजा पानी की मात्रा को संदर्भित करता है जो वैश्विक नीले पानी के संसाधनों जैसे झीलों, नदियों, तालाबों, जलाशयों और कुओं को उत्पादित करने वाले सामानों और सेवाओं या उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग सेवाओं में वाष्पित में होता है।

3. ग्रे जल पदचिह्न (Grey Water Footprint): यह उस ताजा पानी की मात्रा को संदर्भित करता है जो व्यक्ति या समुदाय द्वारा उपभोग किये गए सामानों और सेवाओं के उत्पादन करने के दौरान प्रदूषित होता है।

क्या हम वाटर फुटप्रिंट घटाने के लिए कुछ कर सकते हैं?

पानी का संकट आज वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कई देशों ने तो अब अपने वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऐसे उत्पादों को दूसरे देश से मंगाना शुरु कर दिया है, जिसके उत्पादन में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।

दरअस्ल, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आमतौर पर दुनिया भर में जिस दर से भूमिगत पानी का दोहन होता है, उस दर से पानी की वापसी नहीं होती। इसके पीछे मुख्य कारण वर्षा के जल को संग्रहित के लिए किसी ठोस पहल



1. बचत शौचालय स्थापित करके, एक व्यक्ति पानी की बचत कर सकता है।
2. बचत फव्वारा स्थापित करके एक व्यक्ति पानी की बचत कर सकता है।
3. अपने दांतों की सफाई के दौरान पानी का नलका बंद करके पानी के नुक़सान को बचा सकते हैं।
4. बगीचे में कम पानी का उपयोग करके भी एक व्यक्ति पानी की बचत कर सकता है।
5. परनाले में हमे दवाओं, पेंट या अन्य प्रदूषक अपशिष्ट का निपटान नहीं करना चाहिए।

का अभाव है। हमारे देश में करीब चार अरब क्यूबिक मीटर पानी वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें से हम मात्र आठ प्रतिशत पानी को ही एकत्र करते हैं और बाक़ी का पानी सीधे समुद्र में कूड़े के साथ समा जाता है।

हमने लगातार कुछ सालों में सबसे ज़्यादा शोषण भूमिगत पानी का ही किया है। अब वह चाहे उद्योग हो, किसानी हो या घर का पानी हो, यह चलन बन चुका है कि यदि पानी चाहिए, तो धरती को छेद दो। महत्त्वपूर्ण यह है कि सारी दुनिया में भूगर्भ जल का प्रयोग करने के मामले में भारत अव्वल है। चीन और अमेरिका का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सन 2007 से 2017 के बीच भूगर्भ जल के स्तर में 61 प्रतिशत की गिरावट आई। हालत यह हो गई कि कई नदियों के किनारे बसे गांवों में भी लोगों को पेयजल की क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-खड़गपुर और कनाडा के अथाबास्का विश्वविद्यालय की एक संयुक्त शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय औसतन प्रतिवर्ष दो सौ तीस घन किलोलीटर जल का उपयोग करते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक एजेंसियों द्वारा मनुष्य समुदाय के लिए आवश्यक माने गए जल उपयोग के मानदंडों से अधिक है।

एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 1975 में जो भूजल दोहन साठ प्रतिशत था, वह 1995 में बढ़ कर चार सौ प्रतिशत हो गया। वर्ष 1989 में पानी की उपलब्धता 9000 घन मीटर थी, जो सन 2025 तक पांच हज़ार एक सौ घन मीटर रह जाने की संभावना है। बढ़ते जल संकट का बड़ा कारण भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन है।



- समय आ गया है कि अब हम वर्षा का जल अधिक-से-अधिक बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है, इसकी एक-एक बूँद अमृत है। इन्हें सहेजना बहुत ही आवश्यक है। अगर अभी जल नहीं सहेजा गया तो आगे चलकर स्थिति भयावह हो सकती है।
- वर्षाजल संग्रहण के कई तरीके उपलब्ध हैं। कम ढलान वाले इलाकों में परंपरागत तालाबों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करके नए तालाब भी बनाने चाहिये। तालाब जल की कमी के समय जल उपलब्ध करवाने के अलावा भूजल भरण में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।
- आधारभूत जल संकट (उदाहरण के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन या उपयोग) की समस्या के समाधान हेतु देशों को अधिक दक्ष सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

माना यह भी जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है, तो वह वस्तुतः उपयोग नहीं होता, बल्कि दुरुपयोग होता है। इसी कारण आज हम भूमिगत जल के मामले में एक ऐसे स्तर पर पहुंचा चुके हैं, जो ख़तरे के निशान को छू चुका है। जल संकट की ख़बरें भले ही पार्श्व में चली गई हों, लेकिन मनुष्यता के लिए पानी के संरक्षण की चिंता सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक है। वाटर फुटप्रिंट और जल चक्र का अध्ययन न केवल हमें बेहतर तरीक़े से समझने में मदद कर सकता है, बल्कि इसके संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

आज हम अपने दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बताने के तरीक़े भले निकाल लें, लेकिन स्थिति डराती है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम जल के उपलब्ध भंडारण के संरक्षण के प्रति सचेत हों और वर्षाजल के संग्रहण के प्रति सजग रहें। यह सजगता ही हमें भविष्य की परेशानियों से बचा सकती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के कारण जल संरक्षण के प्रति हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना ही होगा। जल के उपभोग के साथ साथ हमें उसके संरक्षण लिए भी ठोस उपाय करने होंगे। ■■

''जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।''

एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्ल.) ने कहा, ''अल्लाह सौंदर्यवान है और सौंदर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।''

(हदीस : मुस्लिम)

ISLAMIC CENTRE VELLORE



दीर्घकालीन योजना ज़रूरी

दुनिया के 2.2 अरब लोगों को साफ़ पानी उपलब्ध नहीं

निष्कर्ष



प्रो. ज़फ़ीर अहमद

ऑक्सीजन के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से पानी पर निर्भर है। पानी के बिना, इन्सानों, जानवरों और पेड़-पौधों का जीवन असम्भव है। पानी न हो तो सारा संसार नीरस हो जाए। नहरों के बिना तो स्वर्ग की कल्पना भी अधूरी है। पृथ्वी इस सौरमंडल का एक ऐसा प्रमुख ग्रह है जो पानी की उपस्थिति के कारण अन्य ग्रहों और तारों से पूरी तरह से अलग है। पृथ्वी का लगभग 71 प्रतिशत भाग महासागरों, नदियों, तालाबों और हिमनदों से भरा हुआ है।

सवाल उठता है कि प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने के बावजूद भारत समेत दुनिया भर में पानी की कमी क्यों है? वैश्विक जल वितरण (Global Water Distribution) के अनुसार, 97 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समुद्रों में पानी तो होता है, लेकिन हम उसका उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। स्वच्छ और उपयोगी जल के स्रोत नदियां, हिमनद आदि हैं। स्वच्छ और उपयोग में लाने योग्य पानी में भूजल (Groundwater) की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में भी पाया जाता है जहां नदियां, तालाब और हिमनद दूर-दूर तक नहीं पाए जाते हैं। भारतीय भूभाग का एक बड़ा हिस्सा गंभीर जल संकट (Major Water Crisis) से जूझ रहा है। यदि हमने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई तो यह कोरोना महामारी से ज़्यादा ही ख़तरनाक समस्याएं पैदा कर सकती है।

भूजल दरअस्ल, ज़मीन से काफ़ी नीचे पानी का बड़ा भंडार होता है, जो मिट्टी और चट्टानों में स्पंज की तरह अवशोषित रहता है। तकनीक की मदद से हम इसे उपयोग में लाते हैं। ज़मीन के बहुत नीचे होने की वजह से हैंड पंप और बोरवेल आदि से भूजल निकाला जाता है। दुनिया के कई बड़े शहर हैं जो सिर्फ़ भूजल पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास कोई अन्य स्रोत या जलाशय मौजूद नहीं है। बड़ा शहर हो या छोटा गांव दुनिया भर की लगभग आधी

आबादी साफ़ पानी के लिए भूजल पर निर्भर है। विश्व का लगभग 30 प्रतिशत स्वच्छ जल ज़मीन से ही प्राप्त होता है। शेष 69 प्रतिशत ग्लेशियर या पहाड़ी क्षेत्र का 33 प्रतिशत हिस्सा इन्सानों के इस्तेमाल में होता है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां शत-प्रतिशत पानी की ज़रूरत भूजल से ही पूरी होती है।

दुनिया के कई देशों और उनके शहरों से भूजल विलुप्त होता जा रहा है। इस संकट पर अभी से ध्यान देना होगा, अन्यथा यह वैश्विक ख़तरा बनकर आबादी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे नष्ट कर सकता है। वैश्विक जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मानव गतिविधियों, औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण धरती सूखती जा रही है, जो एक नए संकट की शुरुआत है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र (The United Nations International Groundwater Resources Centre (UN-IGRCA) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पीने योग्य पानी दुनिया की केवल आधी आबादी के लिए ही उपलब्ध है। विश्व स्तर पर, जल भंडार का 67 प्रतिशत कृषि के लिए और 11 प्रतिशत कारखानों के लिए, और शेष 22 प्रतिशत घरेलू उपयोग में लाया जाता है।

इस समय दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जहां पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनके पास पीने या स्वास्थ्य और स्वच्छता (Health and Hygiene) तक के लिए पानी नहीं है। 2.2 अरब जनसंख्या का हिस्सा पीने के साफ़ पानी से भी वंचित है। कम विकसित देशों में, 88 प्रतिशत लोग आज भी साफ़ पानी के बिना जीवन गुज़ार रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप हिंद-पाक में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है।

उत्पादन और कृषि पैदावार के लिए भूजल एकमात्र स्रोत है। भारत में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या भूजल पर ही निर्भर है। वर्ष 1960 की हरित क्रांति के बाद से खेती के लिए भूजल की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। साथ ही खाद और अन्य रसायनों के उपयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में दुनिया का लगभग 4 प्रतिशत ही स्वच्छ जल का भंडार है, लेकिन दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी यहां रहती है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत उन 17 देशों में शामिल है जहां लोग कठोर परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। भारत में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे इलाक़ों में रहते हैं, जहां सतत उपयोग (Unsustainable use) के कारण पानी कम होता जा रही है। यह जनसंख्या ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर है।

भारतीय भूभाग का एक बड़ा हिस्सा गंभीर जल संकट (Major Water Crisis) से जूझ रहा है। यदि हमने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई तो यह कोरोना महामारी से ज़्यादा ही ख़तरनाक समस्याएं पैदा कर सकता है।

नासा की हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज लेबोरेटरी के निदेशक मैथ्यू रोडेल का कहना है कि उत्तर भारत में भूजल के क्षरण की दर लगभग 19.2 गीगाटन प्रति वर्ष है, जो बहुत ख़तरनाक है। जल कुप्रबंधन को दूर करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा जारी जल प्रबंधन सूचकांक से पता चलता है कि देश की विकास दर में गिरावट आ रही है जिसकी एक बड़ी वजह पानी की गंभीर कमी है, क्योंकि हमारे देश की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पर्याप्त पानी से वंचित है। जो पानी उपलब्ध है उसका 7 से 8 प्रतिशत हिस्सा जल प्रदूषण के कारण अनुपयोगी है।

अगर हम अपने देश में मौजूद कुल जल भंडार को देखें तो स्थिति संतोषजनक है। हमारे यहां वार्षिक पानी की उपलब्धता 1870 अरब क्यूबिक मीटर है, जिसमें से केवल 11.25 अरब क्यूबिक मीटर ही उपयोग करने योग्य है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो पानी की बर्बादी, इसके अनावश्यक उपयोग और अव्यवस्था के साथ-साथ इसके वितरण में भारी असमानता सामने आती है।

पानी की बर्बादी रोकने और इसके सदुपयोग के लिए कठोर क़दम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ''जल पदचिन्ह'' (water footprint) का गठन बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है। दुर्भाग्य इस संबंध में, हमारे योजनाकार और आम लोग

बहुत ही कम जागरूक हैं। हमारे यहां जिन्स की एक पैंट के लिए कपास की खेती करने से लेकर रंगने और धोन तक, 10 हज़ार लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है, जबकि विकसित देशों में केवल 1500 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे देश का जल पदचिह्न सूचकांक (water foot-print index) 1980 क्यूबिक मीटर है, जबकि इसका वैश्विक औसत 1243 क्यूबिक मीटर है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, जल संकट का मुख्य कारण पानी का कुप्रबंधन है। साल दर साल पानी की उपलब्धता घट रही है।

वर्ष 1951 में, हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसतन 14180 लीटर पानी उपलब्ध था, लेकिन 2001 में यह 1608 पर पहुंच गया और अनुमान है कि 2025 तक यह मात्र 1340 ही रह जाएगा। हालांकि कुछ लोग ख़ुद को बोतलबंद पानी पर निर्भर मानते हैं, लेकिन एक लीटर साफ़ पानी के लिए कम से कम 5 लीटर पानी बर्बाद होता है। ऐसा सिर्फ़ बड़ी फैक्ट्रियों में ही नहीं बल्कि घरों में लगे आरओ में भी होता है।

पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमारे देश में गंभीरतापूर्वक कोई योजना ही नहीं बनी है। यदि सभी उत्पादकता का आकलन निर्धारित जल पदचिन्हों के आधार पर होने लगे, तो ज़ाहिर है कि जल संसाधनों और उत्पादन संबंधी संस्थानों से जल संरक्षण, उसके किफ़ायती उपयोग और जल प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विस्तार से परामर्श किया जा सकता है। हमारी आयात और निर्यात नीति कैसी हो? हम अपने खेतों में क्या पैदा करें? यदि इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो, पानी के पुनः उपयोग और इससे संबंधित उपकरणों की चर्चाएं लोगों में स्वयं फैलेंगी।

इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वर्ष हरियाणा ने पानी बचाने के लिए धान की खेती के बजाय मक्के की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ़्त बीज और अन्य कई सुविधाएं देने की घोषणा की है। ऐसे कई प्रयोग देश को जल-समृद्ध बनाने में उपयोगी और कारगर हो सकते हैं। हम सिर्फ़ यह अनुमान लगाना शुरू करें कि किन-किन जगहों पर पानी का अनावश्यक उपयोग हो रहा है, जिसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है।

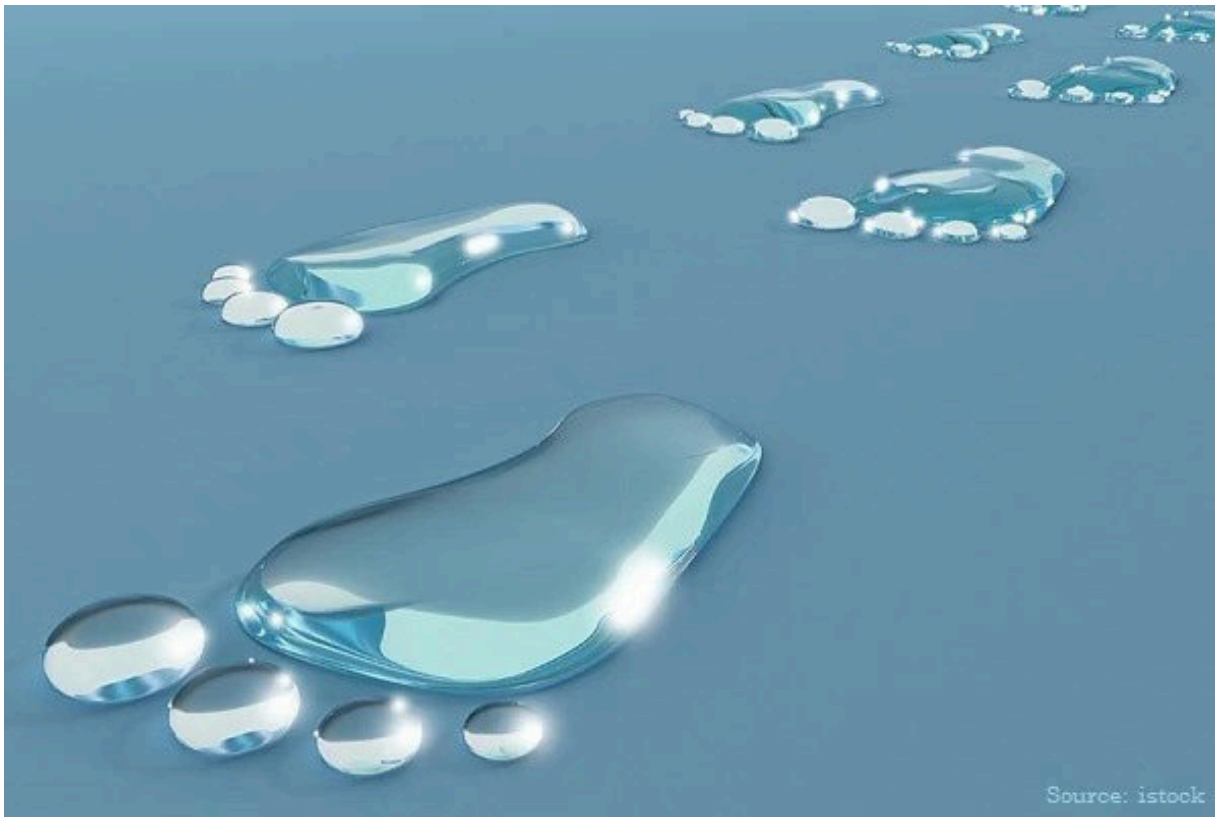

अब आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया और अपने देश को जल प्रदूषण और उसकी बर्बादी से बचाया जाए, क्योंकि पानी की बर्बादी और इसके दुरुपयोग से जल संकट का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ■■



आदर्श मूल्यों को व्यवहार में लाना ज़रूरी

समाधान



संपादन प्रभाग

"हमने जल से हर जीवित वस्तु को जीवन प्रदान किया।"
(क़ुरआन, 21:30)

"फिर तनिक इन्सान अपने भोजन को देखे। हमने ख़ूब जल लुढ़ाया। फिर धरती को अजीब तरह से फाड़ा। फिर उसमें उगाए अनाज और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खुजूरें और घने बाग़ और तरह-तरह के फल और चारे। तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए जीवन सामग्री के रूप में।''

(क़ुरआन, 80:24-32)

जल इस पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी जगत के लिए ईश्वर के विभिन्न उपकारों में से एक बहुमूल्य उपकार है। इस धरती पर प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन का आधार पानी है। इससे मनुष्य स्वयं को जीवित रखता है, प्यास बुझाता है, शरीर की सफ़ाई करता है, खाना बनाता है, सामान धोता है, खेतों की सींचाई करता है, और विभिन्न पशु एवं पक्षी इसे पीते हैं। जल का जब इतना महत्व है और यह ईश्वर का एक अनमोल उपहार है तो इसे पाकर एक इन्सान को ईश्वर का कृतज्ञ होना ही चाहिए। क़ुरआन कहता है-

''और वही है जो अपनी दयालुता के आगे-आगे हवाओं को ख़ुशख़बरी बनाकर भेजता है। फिर आसमान से स्वच्छ जल उतारता है, ताकि एक निर्जीव भूभाग को ज़िन्दगी प्रदान करे और सृष्टि में से बहुत से जानवरों और इन्सानों को सिंचित करे। इस चमत्कार को हम बार-बार उनके सामने लाते हैं

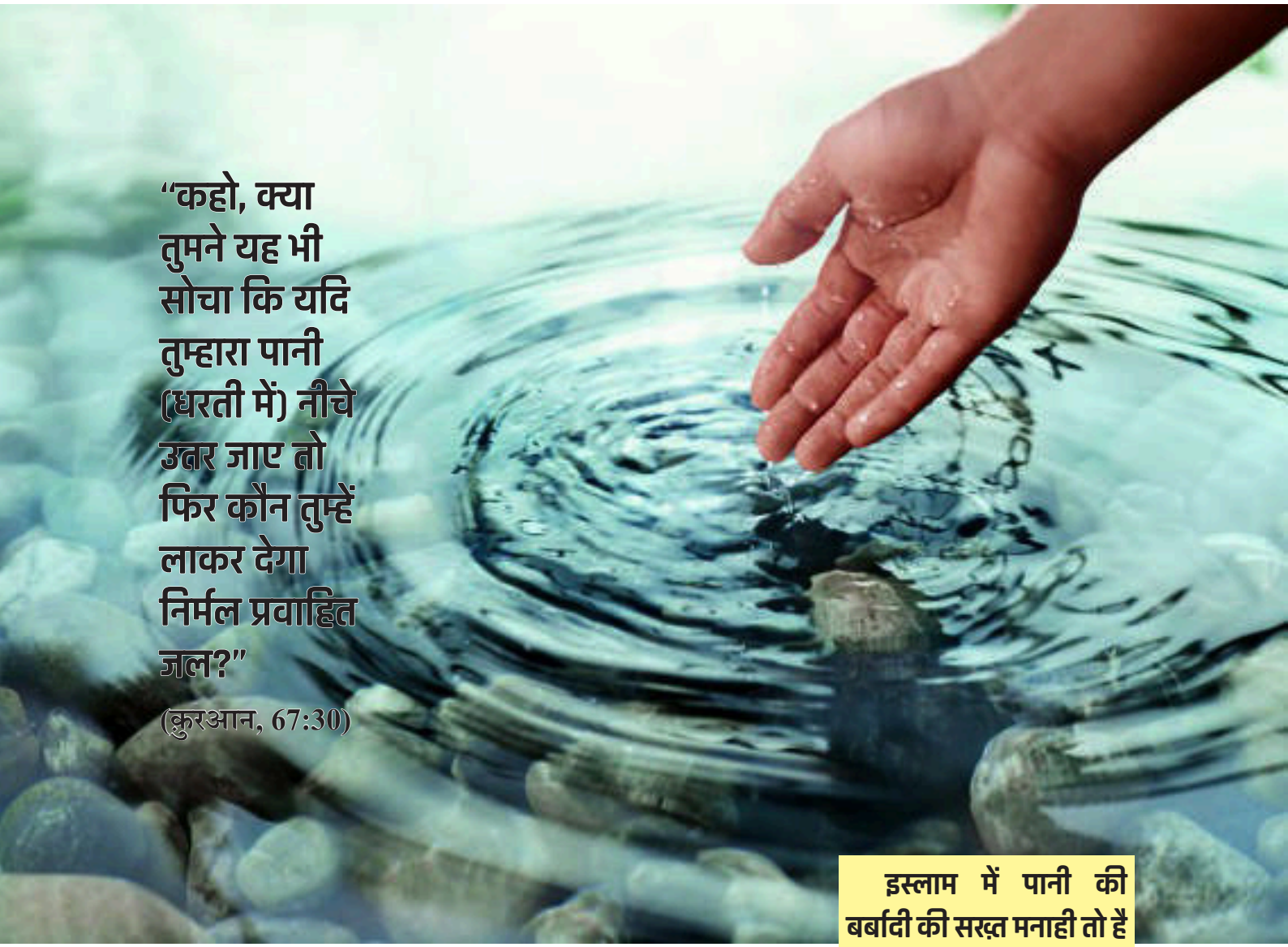

इस्लाम में पानी की बर्बादी की सख़्त मनाही तो है ही, साथ ही मुनाफ़े के लिए इसके उपयोग को गुनाह क़रार दिया गया है। मनुष्य, जंतु, पक्षी और पेड़-पौधों के लिए पीने योग्य पानी के संरक्षण को इबादत का ही एक रूप कहा गया है।

ताकि वे कुछ शिक्षा लें, मगर ज़्यादातर लोग इन्कार और नाशुक्री के सिवा अन्य नीति ग्रहण करने से इन्कार कर देते हैं।

(क़ुरआन, 25:48-50)

एक अन्य स्थान पर क़ुरआन कहता है-"कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम्हारा पानी (धरती में) नीचे उतर जाए तो फिर कौन तुम्हें लाकर देगा निर्मल प्रवाहित जल?"

(क़ुरआन, 67:30)

पवित्र क़ुरआन में पानी का वर्णन 160 बार से ज़्यादा आया है। इस्लाम हमें जल की बर्बादी करने से रोकता है और इसके संरक्षण के प्रति सचेत करता है। जल ही क्या इस्लाम किसी भी चीज़ को बर्बाद न करने की शिक्षा देता है। क़ुरआन में कहा गया है-"खाओ पिओ और फ़ुज़ूलख़र्ची न करो, अल्लाह (ईश्वर) फ़ुज़ूलख़र्ची करने वालों को पसन्द नहीं करता।" (क़ुरआन, 7:31)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) जिनका जीवन पूरी मानवता के लिए आदर्श है, जल के संरक्षण में भी उनका आदर्श हमें मिलता है। आप ज़्यादातर एक मुद्द (650 ग्राम) जल से वुज़ू कर लेते तथा एक साअ से (तीन किलो ग्राम या उससे अधिक) में स्नान कर लेते थे। (मुस्लिम)

एक बार एक व्यक्ति हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आया और कहा-वुज़ू के लिए कितना पानी हमें काफ़ी होना चाहिए? कहा-मुद्द, पूछा-स्नान के लिए कितना पानी काफ़ी होना चाहिए? कहा-साअ। उसने कहा-इतना तो मुझे काफ़ी नहीं। आपने फ़रमाया-उस इन्सान को काफ़ी हुआ जो तुझ से उत्तम थे, अर्थात् अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.)। (अहमद)

एक बार मुहम्मद (सल्ल.) हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के पास से गुज़रे जबकि वह वुज़ू कर रहे थे और पानी का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे। आपने फ़रमाया-हे साद!

यह क्या फ़ुज़ूलख़र्ची है? उन्होंने पूछा- क्या वुज़ू में भी फ़ुज़ूलख़र्ची है? आपने फ़रमाया-हां क्यों नहीं! यद्यपि तुम बहती नदी के निकट ही क्यों न हो। (वहां भी आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग करना फ़ुज़ूलख़र्ची है।)

इस्लाम में पानी ज़्यादा हो या कम, उसको बचाना ज़रूरी क़रार दिया गया है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा पानी कम से कम ख़र्च करने की शिक्षा दी है। आपने फ़रमाया-वुज़ू में पानी व्यर्थ न ख़र्च करो, चाहे तुम नदी में वुज़ू कर रहे हो (इब्ने माजा)। मुस्लिम हदीस के हवाले से पता चलता है कि पैग़म्बर (सल्ल.) ने फ़रमाया, जितनी ज़रूरत हो, पानी उतना ही ख़र्च किया करो। आपने एक तरफ़ जहां जल संरक्षण पर ज़ोर दिया, वहीं दूसरी ओर पानी को दूषित न करने का हुक्म भी दिया। आपने ठहरे हुए या बहते हुए पानी में पेशाब नहीं करने की ताकीद की। आपने जंग में भी फ़लदार पेड़, दुश्मनों के उपासना गृह और पानी के स्रोतों को नुक़सान नहीं पहुंचाने का आदेश दिया। कहा-किसी का पानी कभी न रोको, गुनाह है।

इस्लाम में पानी की बर्बादी की सख़्त मनाही तो है ही, साथ ही मुनाफ़े के लिए इसके उपयोग को गुनाह क़रार दिया गया है। मनुष्य, जंतु, पक्षी और पेड़-पौधों के लिए पीने योग्य पानी के संरक्षण को इबादत का ही एक रूप कहा गया है। पानी की बर्बादी इस्लाम की नज़र में घृणित कार्य है। जल स्रोतों को प्रदूषित करना भी पानी की बर्बादी है, क्योंकि प्रदूषित जल जीव-जंतुओं और इन्सानों के लिए अनुपयोगी हो जाता है।

इस्लामी शिक्षाएं पानी को विवेकपूर्ण तरीक़े से संरक्षित और सदुपयोग करने पर विशेष ध्यान देती हैं और यह किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में बर्बाद करने या उपयोग करने की सख़्त मनाही करती हैं। हम अक्सर देखते और सुनते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी स्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं है, उन्हें अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम कभी नहीं सोचते कि हम प्रतिदिन कितना पानी बर्बाद करते हैं?



हम अनावश्यक रूप से पानी का उपयोग अपने वाहनों को धोने, लंबे समय तक स्नान करने, अत्यधिक बर्तन धोने, अपने दांत ब्रश करने या शॉवर में अतिरिक्त समय बिता कर बर्बाद कर देते हैं, जबकि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी जल संरक्षण की दिशा सचेत हों, उसे बर्बाद न होने दें, उसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग दरिद्रता तथा निर्धनता का कारण होता है।

आज हम दुनिया भर में पानी की गंभीर चुनौतियों को देख रहे हैं। इसलिए, इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पूरी ज़िम्मेदारी से किया जाना ज़रूरी है। हमें जल संरक्षण के आदर्श मूल्यों पर आत्म-मंथन करने और उन्हें आम्मसात करने की आवश्यकता है। यदि अब भी हम सचेत नहीं हुए और अपनी विवेकहीन, अति उपभोग आधारित जीवनशैली पर पुनर्विचार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने होंगे। अतः हम उस जटिल समस्या का बोध करें जो अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करने के कारण पैदा होने वाली है। पानी को लेकर आज जो रवैया अपनाया जा रहा है, उससे मानवजाति प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बना सकती है। आज शुद्ध जल की कमी और जल प्रदूषण गंभीर वैश्विक समस्या है। पानी के लिए तरसती बड़ी आबादी और पानी के लिए अगले विश्व युद्ध की भविष्यवाणी स्थिति का भयावह रूप को दिखाती है। ऐसे में जल संरक्षण की इस्लामी शिक्षाओं पर चलकर मानव जाति प्रकृति के साथ सामंजस्य बना सकती है। ■■

कविता

"जल जीवन-आधार है"

– डॉ० योगेन्द्र नाथ शर्मा –

जल जीवन-आधार है, जगती का है मूल !
जल बिन सब जग सून है, कभी न यह सच भूल !!
ठोस, तरल अरू भाप हैं, तीनों जल के रूप !
इस जल को मानव समझ, इस धरती का भूप !!
वर्षा-जल वरदान है, धरती का श्रृंगार !
बिन वर्षा जलती धरा, होता हा-हा कार !!
जल बिन जग जल जाएगा, मनुज न बन नादान !
जल-संरक्षण कर मनुज, तभी बचेगी जान !!
भूजल से मिटती रही, सदा सृष्टि की प्यास !
दूषित करके जल मनुज, होगा महा विनाश !!
जलना हो जो जगत में, जल को करें विनष्ट !
जल बिन मछली की तरह, मनुज पाएगा कष्ट !!
वर्षा के जल से सदा, मिटे धरा की प्यास !
अंकुर फूटें अन्न के, पूरी हो हर आस !!
जल जीवन देता सदा, साक्षी है विज्ञान !
जल से सुख पाए सदा, धरती पर इंसान !!
जल-संरक्षण के बिना, होंगे सपने चूर !
जल-संरक्षण से मनुज, अन्न मिले भरपूर !!
जल का संरक्षण बने, सदा मनुज का धर्म !
जल के बिन निष्फल रहे, जीवन का हर कर्म !!



समसामयिक

संपादन प्रभाग



सवाल हलाल का...

हलाल मांस को लेकर कर्नाटक में उठे हालिया विवाद के बाद 'हलाल' शब्द एक बार फिर चर्चा में है। पिछले साल जब बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो डाइट चार्ट दिया था, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा था, क्योंकि उसमें खिलाड़ियों के लिए हलाल मीट की अनिवार्यता की बात की गई थी। डाइट चार्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल किया गया था। हलाल शब्द के चलते बीसीसीआई को निशाने पर लिया गया। यहां हलाल शब्द का आशय मांस प्राप्त करने के लिए पशुवध की एक विधि से है।

आमतौर पर हलाल शब्द को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है। जहां तक हलाल शब्द का सवाल है तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है। हलाल (वैध) और हराम (अवैध या वर्जित) परस्पर विरोधी शब्द हैं, हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है 'बंधन खोलना' तथा हराम का शाब्दिक अर्थ है 'किसी चीज को सख़्ती से रोकना'। पवित्र क़ुरआन में हराम शब्द का उल्लेख इस प्रकार से हुआ है-

''लोगो, धरती में जो हलाल (वैध) अच्छी-सुथरी चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बुराई और अश्लील बातों को कहता है और यह सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वे बातें कहो,जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो (कि वे अल्लाह की कही हुई हैं)।'' (क़ुरआन, 2:168-169)

मानवीय जीवन के समस्त पक्ष धर्म, अध्यात्म, खान-पान, रस्म व रिवाज, आचार व्यवहार और राजनीति आदि की जिन-जिन बातों की इस्लाम अनुमति देता है, वे वैध हैं यानी हलाल हैं और जिन बातों से रोकता है वे हराम यानी अवैध हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि वैध-अवैध का निर्धारण महत्वपूर्ण क्यों है और इसका निर्धारण आख़िर कौन करेगा?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व क़ानून आवश्यक होते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य को उसकी इच्छानुसार आचरण करने की अनुमति हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और सामाजिक व्यवस्था

छिन्न-भिन्न हो जाएगी। इसलिए मानव समाज को सुव्यस्थित रखने और शांति की स्थापना के लिए वैध-अवैध (हलाल-हराम) का निर्धारण आवश्यक है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है कि हलाल और हराम का निर्धारण कौन करे? तो इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि इसका निर्धारण मानव समाज स्वयं करे, लेकिन मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस संबंध में कभी भी संतुलन स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें निष्पक्षता का अभाव होता है। देश, काल और स्थानीय परिस्थितियों वैध-अवैध के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। लिंग, समुदाय और राष्ट्रीयता का प्रभाव भी इस पर होता है। स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए वैध-अवैध का निर्धारण करे, मालिक नौकर के लिए और नौकर मालिक के लिए क़ानून बनाए, वर्तमान समय के लोग आने वाले समय के लिए क़ानून बनाएं तो उसमें निष्पक्षता न होने के कारण संतुलन आ ही नहीं सकता।

इतिहास गवाह है कि एक ओर जब धर्म, आध्यात्म, वैराग्य और सन्यास के संबंध में इन्सान ने अतिरेक से काम लिया, तो शारीरिक सुख को वर्जित ठहराया गया और विवाह अच्छा भोजन, वस्त्र और आभूषण आदि को हराम बना दिया गया। दूसरी ओर जब वह इसके विपरीत अति को पहुंचा तो हर वो चीज़ वैध हो गई जो आपको अच्छी लगे। यहां तक कि प्राचीन ईरान में सगे-संबंधियों के बीच भी विवाह को वैध ठहरा दिया गया।

आज भी यदि खान-पान के संबंध में विचार करें तो अतिवाद यहां भी पाया जाता है। एक अति तो यह है कि हिंसक पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, चमगादड़ और कीड़े-मकोड़े तक खा लिए जाएं और दूसरी ओर केवल शाकाहार ही हलाल है। एक वर्ग विशेष तो दूध और शहद तक को हराम समझता है।

इसलिए यह तो स्पष्ट है कि इन्सान द्वारा हराम-हलाल के निर्धारण से कभी भी शांति व संतुलन की स्थापना नहीं हो सकती। इस्लामी मान्यता के अनुसार हलाल-हराम का निर्धारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ही कर सकता है। केवल वही जानता है कि इन्सान के भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। केवल वही है जिसका ज्ञान पूर्ण और निरपेक्ष है, जो समय व परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता।

ईश्वर ने ही इन्सान की प्रकृति में नैतिक अनुभूति भी रखी है। उसके स्वभाव में पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे के भेद का भाव भी मौजूद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए हलाल-हराम का निर्धारण उसको परेशानी में डालने के लिए नहीं है, यह उसकी स्वतंत्रता का भी हनन नहीं है।

मनुष्य की प्रकृति में ईश्वर के होने, उसके अस्तित्व और उसकी भक्ति का भाव निहित है। यह उसके स्वभाव का अभिन्न अंग है। उसके मन में ये सवाल उठते ही हैं कि 'मैं कौन हूं? मुझे किसने पैदा किया है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा? व्यक्ति जब अपने अस्तित्व और बाहर की दुनिया पर नज़र डालता है तो समझ जाता है कि यह जगत, पृथ्वी पर जीवन और उसका अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह विराट ब्रह्मांड जोकि पूर्ण रूप से नियमबद्ध है और हमारे शरीर की संरचना, इसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियां एक बेहतरीन रचयिता और इसके स्रष्टा का पता देती हैं। ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता और स्वामी है, उसने ही पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कीं, इन्सान को पैदा किया और उसमें बुद्धि और विवेक रखा। विचार और कार्य करने की स्वतंत्रता दी और जीवन मृत्यु का सिलसिला बनाया ताकि वह हमारे कर्मों का मूल्यांकन करे कि कौन अच्छे कर्म करता है और कौन बुरे। क़ुरआन में ईश्वर का कथन है-

''अत्यन्त श्रेष्ठ और उच्च है वह जिसके हाथ में (विश्व का) राज्य है, और वह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। जिसने मौत और ज़िन्दगी को अविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आजमाकर देखे कि तुम में से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और वह प्रभुत्वशाली भी है और माफ़ करने वाला भी।''

(क़ुरआन, 67:1-2)

ईश्वर ने ही इन्सान की प्रकृति में नैतिक अनुभूति भी रखी है। उसके स्वभाव में पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे के भेद का भाव भी मौजूद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए हलाल-हराम का निर्धारण उसको परेशानी में डालने के लिए नहीं है, यह उसकी स्वतंत्रता का भी हनन नहीं है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हराम चीज़ों की सीमा न्यूनतम है और हलाल चीज़ों का विस्तार बहुत अधिक है। क़ुरआन में ईश्वर ने सभी पवित्र चीज़ों को खाने के लिए हलाल ठहराया है। इन्सान को चाहिए कि वे क़ुरआन का अध्ययन कर ईश्वर द्वारा निर्धारित हलाल और हराम को समझने का प्रयत्न करें। जहां तक सवाल हलाल मीट का है, तो अधिकतर स्वास्थ्य विज्ञानी और चिकित्सक इस बात पर एकमत हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हलाल किया हुआ मीट ज़्यादा अच्छा होता है। ■■

ज्वलंत



सुफ़ियान अहमद

हेट स्पीच

कैसे लगे लगाम ?

देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बीते माह रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर हुए अत्तेजक आयोजनों के दौरान हिंसा देखने को मिली। इससे पहले भड़काऊ भाषणों की एक सुनियोजित श्रृंखला भी देखने को मिली। इस समय ऐसे द्वेषपूर्ण और भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) ख़ासी चर्चाओं में हैं, जिनके ज़रिये उकसाने और भड़काने वाले कामों को बढ़ावा दिया जाता है।

अगर रिपोर्टों की बात करें तो इस प्रकार की सभाओं और आयोजनों में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भड़काऊ बातें कहकर माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया। कुछ भड़काऊ भाषणों को लेकर अदालत में मुक़दमे भी चल रहे हैं। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप भी



लग रहे हैं। आरोप है कि ऐसे मामलों में जहां एक पक्ष के ख़िलाफ़ अति कठोर क़दम उठाते हुए यूएपीए और देशद्रोह जैसे सख़्त क़ानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर बहुत ही नर्मी बरती जा रही है। उन्हें आधिकारिक स्तर पर पनाह दी जा रही है और उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई नहीं हो रही।

जो भी हो भड़काऊ भाषणों और उकसावे वाले आयोजनों से एक बात की तो स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है कि इस पूरे मामले में सांप्रदायिकता की राजनीति हावी है। बेलगाम भड़काऊ भाषणों की बाढ़ को देखते हुए देश के न्यायप्रिय लोग इस पर नकेल कसने के लिए पक्षपातरहित विशेष प्रावधानों की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं।

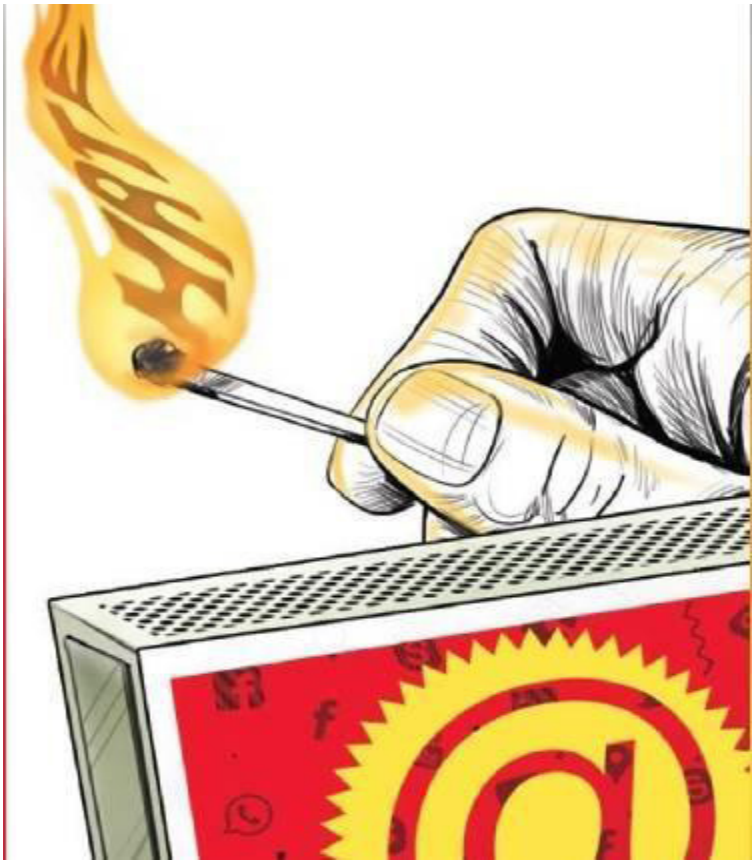

हमारे देश में नफ़रती भाषणों को लेकर अलग से कोई क़ानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर कुछ लगाम कसते हुए एक तरह से इसे परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, कोर्ट की अवहेलना, मानहानि, हिंसा भड़काने, भारत की अखंडता व संप्रभुता, इनमें से किसी भी बिंदु के तहत अगर कोई बयान या लेख आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ सुनवाई और कार्रवाई के प्रावधान हैं।

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153(ा) के तहत प्रावधान है कि अगर धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रिहाइश, भाषा, जाति या समुदाय या अन्य ऐसे किसी आधार पर भेदभावपूर्ण रवैये के चलते बोला या लिखा गया कोई भी शब्द अगर किसी भी समूह विशेष के ख़िलाफ़ नफ़रत या रंजिश की भावनाएं भड़काता है या सौहार्द्र का माहौल बिगाड़ता है, तो ऐसे मामले में दोषी को तीन साल तक की क़ैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में भी नफ़रती और भड़काऊ भाषणों को लेकर कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।

क़ानूनी प्रावधान अपनी जगह हैं और इन प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया अपनी जगह। दुर्भाग्य से इस दिशा में अभी तक हमें कोई ठोस राजनीतिक या प्रशासनिक इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिली है। आरोप-प्रत्यारोप की बयानबाज़ी जहां एक ओर इस मुद्दे पर राजनीति की पुष्टि करती है, तो दूसरी ओर इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा में दिनों दिन बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

हेट स्पीच यानी भड़काऊ या नफ़रत भरी बातें अपराध हैं और राज्यों का विषय हैं। इसी कारण इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकारों की इच्छा के आधार पर कार्रवाइयां होती हैं। अगर राज्य सरकारों को राजनीतिक रूप से उचित लगता है तो वे इस तरह के मामलों में कार्रवाइयां करती हैं और अगर उन्हें सूट न करे तो नहीं करतीं। हेट स्पीच के मामलों का एक पहलू केंद्र से भी जुड़ा है।

जानकारों के अनुसार, आजकल अधिकतर हेट स्पीच सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। इसके लिए आईटी एक्ट बनाया गया है। अगर सोशल मीडिया पर कही गई हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई करनी है तो सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी लेनी होगी और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ़ केंद्र के पास है।

भड़काऊ भाषणों और उकसावे वाले आयोजनों से एक बात की तो स्पष्ट रुप से पुष्टि होती है कि इस पूरे मामले में सांप्रदायिकता की राजनीति हावी है। बेलगाम भड़काऊ भाषणों की बाढ़ को देखते हुए देश के न्यायप्रिय लोग इस पर नकेल कसने के लिए पक्षपातरहित विशेष प्रावधानों की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं।



यह बात चिंताजनक है कि हमारे देश का तथाकथित धार्मिक और राष्ट्रवादी कहा जाने वाला एक वर्ग बेलगाम होकर उन्माद फैलाने पर उतर आया है, लेकिन शासन की ख़ामोशी उससे भी बड़ी चिंता की बात है। यदि वास्तव में हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां इसे रोकने को लेकर गंभीर हो जाएं, तो ऐसे मुद्दों को हवा देने से रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे समाज में दूरी बढ़े। ज़मीनी स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं।

इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारें हेट स्पीच देने वालों के ख़िलाफ़ ऐसी सख़्त कार्रवाई करें, जिससे यह संदेश जाए कि नफ़रत बढ़ाने और सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को बख़्शा नहीं जाएगा। हमारे नीति निर्माताओं और सत्ता में बैठे लागों को यह याद रखना होगा कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा से आर्थिक गतिविधियों को नुक़सान पहुंचता है और विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि ख़राब होती है, जिससे बड़े पैमाने पर हमारे आर्थिक हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

'सबका साथ, सबका विकास' जैसे नारे का औचित्य तभी साबित हो सकता है जबकि सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने वालों को सख़्त संदेश दिया जाए। नफ़रत भरे ऐसे भाषणों, जिनके ज़रिये लोगों को भड़काने का काम किया जाता है उन्हें रोका जाए। धर्म, नस्ल और लिंग जैसे भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाले किसी भी प्रकार के निंदात्मक या आक्रामक बयानों पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए।

■■

सद्भावना

संपादन प्रभाग

'अमानती मस्जिद' का 'अमीन'



समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई।
कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पन नहीं मिलता।।

लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसालें यहां-वहां से सामने आती रहती हैं। हाल में ही हिंदू-मुस्लिम सौहार्द की ऐसी ही एक पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना में देखने को मिली जहां एक हिंदू परिवार पिछले 50 वर्षों से बारासात में 'अमानती मस्जिद' की देखभाल कर रहा है। नार्थ 24 परगना के बारासात के वरिष्ठ नागरिक दीपक कुमार बोस और उनका बेटा पार्थ सारथी बोस इस काम के ज़रिये पूरे देश को हिंदू-मुस्लिम एकता का पैग़ाम दे रहे हैं।

दीपक बोस रोज़ाना मस्जिद का निरीक्षण करते हैं और उसके रास्तों को साफ़-सुथरा रखते हैं, ताकि नमाज़ियों को कोई परेशानी न हो। अमानती मस्जिद नब्बूपल्ली के क्षेत्र में स्थित है। जो एक हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है। बोस



परिवार के अनुसार, 1964 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के खुलना ज़िले की एक संपत्ति का नॉर्थ 24 परगना में ज़मीन के बदले आदान-प्रदान किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस ज़मीन पर एक छोटी-सी मस्जिद भी है तो उन्होंने इरादा किया कि इसे बाक़ी रखा जाए, हालांकि बहुत से लोगों ने इसे तोड़कर नई इमारत बनाने के सुझाव भी दिये, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मस्जिद को बरक़रार रखा।

समाचारों के अनुसार, 74 वर्षीय दीपक बोस का कहना है कि ''मैं 14 वर्ष का था जब हम पूर्वी पाकिस्तान में खुलना से बारासात (पश्चिम बंगाल) पहुंचे थे, क्योंकि उस समय वहां दंगे भड़क उठे थे। जब दंगे थम गए तो क़ानून के अनुसार हमने खुलना के ज़ियाउद्दीन मोरुल नामी ज़मींदार से ज़मीन का आदान-प्रदान किया, लेकिन यहां एक छोटी-सी मस्जिद थी जिस पर मोरुल ने कहा था कि हम इस ज़मीन को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बोस ने बताया कि उनके पिता ने सबसे पहले मस्जिद की देखभाल की और उस मस्जिद में दिया जलाया।

अब बोस की तीसरी पीढ़ी ने मस्जिद की देखभाल संभाल ली है। तीसरी पीढ़ी के पार्थ सारथी बोस का कहना है कि, ''मेरे दादा और पिता के बाद मेरी पीढ़ी मस्जिद की देखभाल कर रही है। हमें यह देखकर ख़ुशी हुई कि हमारी पीढ़ी में भी इस मस्जिद की देखभाल का जज़्बा पाया जाता है।''

देश में हिंदू-मुस्लिम एकता की ऐसी अनोखी मिसाल पहली बार देखने को नहीं मिली है, बल्कि ऐसी ही एक घटना बिहार के नालंदा ज़िले के माडी गांव में भी हुई है। यह गांव पटना से 66 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां एक 200 वर्ष पुरानी मस्जिद है, जिसकी देखभाल एक हिंदू परिवार वर्षों से करता आ रहा है। दंगों की वजह से उस गांव के सभी मुसलमान पलायन कर गए थे। बस एक मस्जिद रही उनकी निशानी के रूप में जो आज भी मौजूद है। चूंकि गांव में मुसलमान नहीं हैं, इसलिए उस गांव के हिंदुओं ने मस्जिद की देखभाल की ज़िम्मेदारी उठाई है।

यहां नमाज़ तो नहीं होती, लेकिन पांचों वक़्त अज़ान ज़रूर होती है। यह असल में अज़ान की रिकॉर्डिंग होती है जो नमाज़ों के समय पर माइक के सामने रखकर बजा दी जाती है। मस्जिद की सुबह और शाम सफ़ाई की जाती है, हर वर्ष ईद के मौक़े पर पेंट भी किया जाता है। बताया गया है कि इन कामों की ज़िम्मेदारी गौतम महतो, अजय पासवान, बखोरी जमादार और अन्य लोगों ने स्वेच्छा से ली हुई है। स्पष्ट रहे कि 1981 से पहले तक इस गांव में मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे, लेकिन उसी वर्ष होने वाले सांप्रदायिक दंगों के कारण गांव के सभी मुसलमान दूसरे शहर चले गए थे।

वास्तव में ऐसे लोग ही 'सबका साथ और सबका विश्वास' मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 'देश नहीं मिटने दूगां' जैसे नारे लगाने का अधिकार सिर्फ़ इन्हीं लोगों को पहुंचता है। देखा जाए तो हर सीधे और शरीफ़ इन्सान के 'मन की बात' यही है कि देश में एकता और संयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि 'जियो और जीने दो' पर सही तरीक़े से काम किया जाए। ■■



पानी पीने में न करें, मनमानी

सेहत

संपादन प्रभाग

कहते हैं, जल ही जीवन है। गरमी में तो इसकी अहमियत रोज़ ही पता चलती है। जल को जीवन इसलिए कहा गया है कि हमारे शरीर का 70 फ़ीसद तत्व जल से ही बना है। यानी जल की मात्रा असंतुलित होने, अशुद्ध या ग़लत तरीक़े से पानी पीने आदि के कारण शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं।

जल को लेकर पिछले कुछ सालों में बहुत गहन शोध हुए हैं। उन अध्ययनों में पाया गया है कि पानी के पास ज़बरदस्त याद्दाश्त होती है। वह पृथ्वी का सबसे संवेदनशील तत्व है। पानी बर्ताव के हिसाब से अपना स्वभाव बदल लेता है। यहां तक कि उसे किस भावना के साथ रखा या पीने के लिए उठाया जाता है, उसका भी उसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पानी केवल प्यास बुझाने या रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल की वस्तु नहीं, उसे किस रूप में व्यवहार करना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

पुराने समय में कुएं, तालाबों के पानी के संरक्षण के लिए बाक़ायदा नियम बने हुए थे। पीने के पानी को रखने के बर्तन से लेकर उसे उठाने-रखने पीने तक के नियम बने हुए थे। मगर आज बोतलबन्द पानी का ज़माना है। पानी के साथ हमारा क्या व्यवहार हो, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती।

इसी का नतीजा है कि आज जलजनित बीमारियों में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है। अगर हम ठीक से पानी को बरतना सीख जाएं, तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप मुक्ति मिल सकती है।

गर्मी के मौसम में चूंकि पानी का उपयोग बढ़ जाता है, इस समय पानी के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत होती है।

बर्तन के चुनाव में सावधानी

यूं अब बहुत सारे लोग इस बात को समझने लगे हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में रखा पानी सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। इसलिए वे कांच, तांबे, स्टील या फिर अन्य धातु के बर्तनों में पीने का पानी रखने लगे हैं। पानी बेचने वाली कई कंपनियां भी कांच की बोतलों में पानी बेचने लगी हैं। मगर आमतौर पर लोग प्लास्टिक की बोतलों का ही उपयोग करते देखे जाते हैं।

कई लोग तो बोतलबंद पानी की ख़ाली बोतलों का भी कई दिन तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि उन पर साफ़ लिखा होता है कि उपयोग करने के बाद बोतल को मसल कर फेंक दें। अब तो कई शोध आ चुके हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों में रखा पानी न सिर्फ़ सेहत के लिए हानिकारक होता है, बल्कि उसका हमारी जैविक बनावट पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। मन भी प्रभावित होता है। इसलिए पीने का पानी रखने और पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का चुनाव सावधानी से करें।

पानी रखने के लिए धातु के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। हो सके तो तांबे के बर्तन रखें। तांबे में रखे पानी पर हमारे वातावरण में पैदा होने वाली चुंबकीय तरंगों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह पानी हमारे शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी साबित होता है। गरमी के मौसम में बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, ताकि वह ठंडा रह सके। यह अच्छा उपाय है। मगर जब भी मिट्टी का बर्तन ख़रीदें, मिट्टी की शुद्धता का ज़रूर ध्यान रखें। फिर उस बर्तन को साफ़ हाथों से ही छुएं और कुछ-कुछ दिनों पर राख वग़ैरह से या नारियल के रेशे से रगड़ कर धोएं। उन्हें धोने में साबुन का उपयोग न करें। पानी पीने के लिए भी धातु के बर्तन का ही उपयोग करें।



कुछ खाकर पीएं पानी

गरमी के मौसम में प्यास बहुत लगती है। जब भी बाहर से आते हैं तो गला सूखने लगता है। ऐसे में कई लोग फटाफट फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं और गटागट पी जाते हैं। यह ठीक नहीं। दरअस्ल, जब हम धुप में चलते-फिरते, काम करते हैं, तो केवल हमारा गला नहीं सूखता, शरीर के हर हिस्से से पानी का वास्पन होता है। इस तरह भोजन नली कुछ सिकुड़ जाती है। ऐसे में पानी पीते हैं, तो छाती में ज़ोर का धक्का लगता है, दर्द उठता है। इसलिए जब भी पानी पीएं, पहले कुछ मीठा अवश्य खा लें। मीठे से मुंह में लार बनती है और इस तरह भोजन नली को चिकनाई पहुंचती है। फिर पानी पीने पर धक्का नहीं लगता। पानी पीते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि खड़े-खड़े कभी पानी न पीएं। बैठकर और शांत मन से धीरे-धीरे पीएं। ध्यान रखें कि जैसा व्यवहार आप पानी के साथ करेंगे, वैसा ही वह आपके साथ करेगा।

तापमान का ध्यान

गरमी के मौसम में ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। मगर यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। क़ायदे से कमरे के तापमान में रखा हुआ पानी ही पीना चाहिए। अगर ठंडा पानी पीना है, तो सुराही या घड़े का पानी ठीक रहता है। फ्रिज का पानी पीना है, तो उसमें सामान्य तापमान का पानी मिलाकर ही पीएं, नहीं तो न केवल आपके शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा रहेगा, बल्कि पाचनतंत्र भी मंद पड़ जाएगा। ■■



करियर



संपादन प्रभाग

विदेशी भाषाओं में बेहतर भविष्य

भारत में विदेशी भाषाएं जानने वालों की जितनी मांग हैं उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं। इस बात को देखते हुए विदेशी भाषा में करियर बनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

आज के समय में विदेशी भाषाओं के जानकारों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। वैश्वीकरण के दौर में पर्यटन, अनुवाद और संपादन कार्य लोगों को काम का अवसर दे रहा है। कॉल सेंटर हों या विदेशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर टूर गाइड, विदेशी भाषा के जानकारों के लिए अब काम की कमी नहीं है। भारत में विदेशी भाषाएं जानने वालों की जितनी मांग है, उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं। आइए जानते हैं, इस

फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं...

अंतरा ने 10वीं में ही तय कर लिया था कि वह फ्रेंच इंटरप्रेटर के रूप में अपना करियर बनाएंगी। इसलिए 12वीं में एक विषय फ्रेंच रखने के बाद उन्होंने इसे आगे भी जारी रखने का फ़ैसला लिया है। फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश और चाइनीज इन सभी विदेशी भाषाओं में करियर के बहुत से अवसर हैं, लेकिन वर्तमान में युवाओं में फ्रेंच भाषा के प्रति ज़्यादा लगाव देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में अंग्रेज़ी के बाद जिस यूरोपियन भाषा का सबसे ज़्यादा महत्व है, वह फ्रेंच ही है। फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के बाद करियर की असीम संभावनाएं हैं।

जानकारों की मानें, तो वैश्वीकरण के कारण फ्रेंच भाषा के पाठ्यक्रमों का महत्व तेज़ी से बढ़ा है। विदेशी दूतावास, कॉरपोरेट सेक्टर, फ्रांस की कंपनियों, सरकारी विभागों तथा मीडिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषा के जानकारों के लिए बेहतर करियर के अवसर हैं। युवा प्रामाणिक तौर पर भाषा की जानकारी से मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे पदों पर काम कर सकते हैं या फिर वे ख़ुद की कोचिंग भी खोल सकते हैं। वे होटल में जॉब भी कर सकते हैं। इससे एयर होस्टेस, टूरिज्म में गाइड या एस्कॉर्टिंग, स्कूलों में टीचर, कॉलेजों में प्रोफ़ेसर, मल्टीनेशनल कंपनी में अनुवादक बन सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता : कोई भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने के लिए 12वीं उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। इसके बाद युवा सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा कोर्सेज से विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं, जैसे- फ्रेंच भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स के बाद डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं।

बेसिक स्किल : किसी भी भाषा का पुख़्ता ज्ञान आपकी सफलता में सहायक होता है। विदेशी भाषा में करियर बनाने के लिए वे लोग ही आगे आते हैं, जो भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उससे उनका भावनात्मक लगाव भी होता है। वैसे, इसके लिए कैंडिडेट में बेहतर संवाद क्षमता होना ज़रूरी है। अगर आप अनुवादक बनना चाहते हैं, तो विदेशी भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी या हिंदी पर भी पकड़ होनी चाहिए। जिस विदेशी भाषा को सीख रहे हैं, उसका व्याकरण, वाक्य संरचना और उससे जुड़ी संस्कृति व इतिहास की जानकारी होने पर आपको ही फ़ायदा होगा। वहीं, अगर आप पर्यटन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो व्यक्तित्व का आकर्षक होना ज़रूरी है। इसी तरह विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भ्रमण पर जाना है, तो आपका मिलनसार होना भी ज़रूरी है।



टूर एंड ट्रेवल कंपनियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट, होटल्स, रिज़ॉर्ट्स के अलावा सूचना तकनीक के केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में विदेशी भाषा के जानकार युवाओं की काफ़ी मांग है।

संभावनाएं : टूर एंड ट्रेवल कंपनियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट, होटल्स, रिज़ॉर्ट्स के अलावा सूचना तकनीक के केंद्र बेंगलुरू, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में विदेशी भाषा के जानकार युवाओं की काफ़ी मांग है। उन्हें अनुवादक या दुभाषिये के रूप में काम

किसी भी भाषा का पुख़्ता ज्ञान आपकी सफलता में सहायक होता है। विदेशी भाषा में करियर बनाने के लिए वे लोग ही आगे आते हैं, जो भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उससे उनका भावनात्मक लगाव भी होता है। वैसे, इसके लिए कैंडिडेट में बेहतर संवाद क्षमता होना ज़रूरी है। अगर आप अनुवादक बनना चाहते हैं, तो विदेशी भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी या हिंदी पर भी पकड़ होनी चाहिए। जिस विदेशी भाषा को सीख रहे हैं, उसका व्याकरण, वाक्य संरचना और उससे जुड़ी संस्कृति व इतिहास की जानकारी होने पर आपको ही फ़ायदा होगा। वहीं, अगर आप पर्यटन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो व्यक्तित्व का आकर्षक होना ज़रूरी है। इसी तरह विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भ्रमण पर जाना है, तो आपका मिलनसार होना भी ज़रूरी है।



मिल रहा है। आप विदेशी सैलानियों के गाइड बन सकते हैं या दूतावासों में विदेशी भाषा के विशेषज्ञों के तौर पर जुड़ सकते हैं।

देश में पर्यटन उद्योग के तेज़ी से विस्तार होने और हर साल लाखों की संख्या में आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए टूरिस्ट गाइड या टूर ऑपरेटरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में गाइड के लिए विदेशी भाषा की जानकारी ज़रूरी योग्यता बन गई है। इसी तरह, मेडिकल टूरिज्म के तहत खाड़ी देशों के निवासी हर साल यहां निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराने आ रहे हैं। इनका उचित तरीक़े से मार्गदर्शन करने के लिए विदेशी भाषा के विशेषज्ञों की ज़ोरदार मांग है।

अन्य अवसर : विदेशी भाषा के जानकारों की सबसे बड़ी मांग होटल उद्योग, टूरिज्म या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में है। आज स्कूल-कॉलेजों में अध्यापन के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी भाषा के शिक्षकों की मांग है। मैनेजमेंट से जुड़े स्कूल प्रबंधन के कोर्स में विदेशी भाषा से जुड़े पेपर को शामिल कर रहे हैं। इनमें चीनी, जैपनीज, कोरियन, स्पैनिश और फ्रेंच आदि प्रमुख हैं। बीपीओ या कॉल सेंटर्स में भी विदेशी भाषाओं के जानकार रखे जा रहे हैं।

सैलरी : अनुवादक बनने पर शुरुआती वेतनमान 30-40 हज़ार रुपये होता है। आगे चलकर वरिष्ठता और अनुभव के क्रम में यह बढ़ता जाता है। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने पर लोगों को प्रतिमाह लाखों रुपये मिलते हैं।

मैंडरीन की बढ़ती लोकप्रियता

पूरब के अलावा पश्चिम में भी युवाओं के बीच मैंडरीन (चाइनीज) भाषा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। पूरी दुनिया में जहां महज़ 40 करोड़ लोग स्पैनिश बोलते हैं, वहीं 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की भाषा चीनी है। ख़ुद चीन में 70 प्रतिशत लोग मैंडरीन में बात करते हैं। राजधानी दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में मैंडरीन सिखाई जाती है। दूतावास की वेबसाइट से विशेष जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी मैंडरीन सिखाई जाती है। आप चाहें, तो सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के तहत मैंडरीन सीख सकते हैं। इसके अलावा, इंडिया चाइना चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुंबई में भी यह भाषा सीखी जा सकती है। यही नहीं, कोलकाता का द स्कूल ऑफ़ चाइनीज लैंग्वेज से भी सीख सकते हैं।■■



पढ़ो !

अपने रब के नाम के साथ...

शिक्षा विमर्श



नईम अलहिन्दी

हमें एक बेहतर दुनिया व ख़ुशहाल समाज के निर्माण एवं विश्वव्यापी नागरिकता को पोषित करने के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल हो सके यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सरकारों की होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसम्बर 2018 को वैश्विक शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, 24 जनवरी के दिन हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला किया। इसके बाद से यह दिन इस उद्देश्य के साथ हर वर्ष मनाया जाने लगा।

आगे बढ़ने, जीवन को नई दिशा देने और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की भूमिका को दोहराने की आवश्यता नहीं है। शिक्षा किसी भी समाज के प्रगति का आईना होता है, समाज जितना शिक्षित होगा उतना ही वह अपने कर्तव्यों का सही तरीक़े से निर्वाह कर सकेगा।

शिक्षा का दूसरा पहलू यह भी है कि यदि यह नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण न हो तो घातक भी साबित हो सकती है। इसलिए धर्म का ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्थित ज्ञान का अपना एक अलग महत्व होता है। इस्लाम ने इल्म (ज्ञान) प्राप्त करने को बहुत महत्ता दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। इस्लाम में इल्म की हैसियत और उसके महत्व का अंदाज़ा इस बात से हो जाता है कि लगभग साढ़े चौदह सौ वर्ष पहले जब ईशग्रंथ क़ुरआन का अवतरण हुआ, तो उसका पहला शब्द ''इक़रा'' है जिसका अर्थ होता है पढ़ो। क़रआन में है–

''पढ़ो (ऐ नबी), अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया।''

(क़ुरआन, 96:1)

क़ुरआन के अवतरण की शुरुआत ही पढ़ने के आह्वान के साथ हुई है। ज्ञान की अहमियत को दर्शाते हुए एक दूसरी जगह क़ुरआन कहता है–

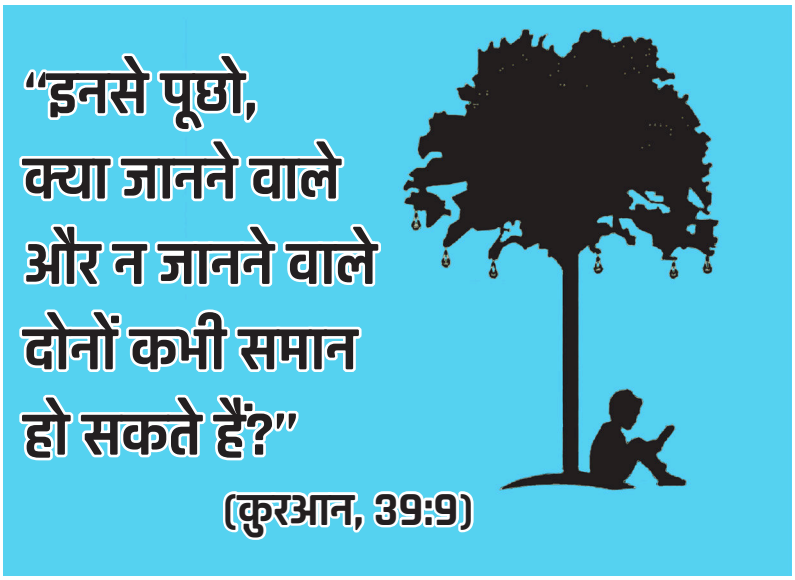

मनुष्य को दिए गए कारणों और तर्कों की भी अपनी सीमाएं हैं और वह पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इमाम ग़ज़ाली ने इस्लामी विचारधारा में ज्ञान के महत्त्व पर विशेष प्रकाश डाला। उनके अनुसार, ज्ञान हमें ईश्वर के क़रीब ला सकता है और साथ ही सांसारिक मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है।

‘‘इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी समान हो सकते हैं?’’ (क़ुरआन, 39:9)

एक अन्य जगह पर क़ुरआन कहता है–

‘‘और दुआ करो कि ऐ पालनहार! मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर।’’ (क़ुरआन, 20:114)

ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में ईश्वर के आख़िरी ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा कि, ‘‘मां की गोद से लेकर क़ब्र तक इल्म (ज्ञान) हासिल करते रहो।’’

एक दूसरी जगह हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का कथन है–

‘‘जो इल्म तलाश करने के लिए एक मार्ग का अनुसरण करता है, तो ईश्वर (अल्लाह) उसके लिए स्वर्ग का मार्ग आसान कर देता है।’’ (इब्ने-माजा)

इस्लाम के महान और प्रभावशाली शिक्षाविदों में एक बड़ा नाम इमाम ग़ज़ाली का आता है, जिन्होंने जगह-जगह शिक्षा हासिल करने के लिए 38 वर्ष बिताए और उस समय की विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करते हुए उस माध्यम का निष्कर्ष निकाला, जिसे छठी इंद्री कहते हैं, जोकि हमें सत्य की ओर ले जा सकती है।

ईश्वरीय रहस्योद्घाटन (इल्हाम) तर्क से श्रेष्ठ है, लेकिन यह केवल चुनिंदा व्यक्तियों को ही ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है, जिन्हें पैग़म्बर (ईशदूत) कहा जाता है। मनुष्य को दिए गए कारणों और तर्कों की भी अपनी सीमाएं हैं और वह पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इमाम ग़ज़ाली ने इस्लामी विचारधारा में ज्ञान के महत्त्व पर विशेष प्रकाश डाला। उनके अनुसार, ज्ञान हमें ईश्वर के क़रीब ला सकता है और साथ ही सांसारिक मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। उनके अनुसार ज्ञान साक्षेप नहीं है, बल्कि अपने आपमें एक सत्ता है। यह व्यक्ति को हर प्रकार की ऊंचाई पर ले जा सकता है।

इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करना, एक लक्ष्य के रूप में नहीं है। बल्कि एक अधिक उन्नत नैतिक और आध्यात्मिक चेतना को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार, संसार में दो प्रकार की रचनाएं हैं अर्थात् पूर्ण रचना जैसे चंद्रमा, सूर्य इत्यादि दूसरी अपूर्ण रचना जैसे वृक्ष के बीज जो इस अर्थ में अपूर्ण है कि उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है। इमाम ग़ज़ाली के अनुसार मनुष्य अपूर्ण प्राणी है और बीज के समान है उनमें परिपूर्ण बनने की क्षमता होती है, केवल उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अर्थात् शिक्षा से व्यक्ति का चरित्र निर्माण होना चाहिए, ताकि वह अच्छे और बुरे में अन्तर कर सके और बुरे रास्ते पर चलने से बच सके। इस संदर्भ में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यह है कि मानव स्वभाव अच्छाई पर आधारित है या बुराई पर। इमाम ग़ज़ाली ने क़ुरआन और हदीस के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि अच्छाई या बुराई भौतिक नहीं है और न ही सहज है। शिक्षा और प्रशिक्षण से मनुष्य को बदला जा सकता है। ■■

'नफ़रत की राजनीति' ख़त्म करने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गत माह 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार बढ़ रही नफ़रत की राजनीति पर अंकुश लगाने की अपील की है। अपने पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद जताई है कि वे 'नफ़रत की राजनीति' को ख़त्म करने का आह्वान करेंगे जो भाजपा शासित राज्यों में ख़तरनाक रूप ले चुकी है।

पत्र में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों का उल्लेख किया गया है जो भाजपा शासित हैं और जहां पर पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों पर धर्म आधारित हमले बढ़े हैं। समाचारों के अनुसार, पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी

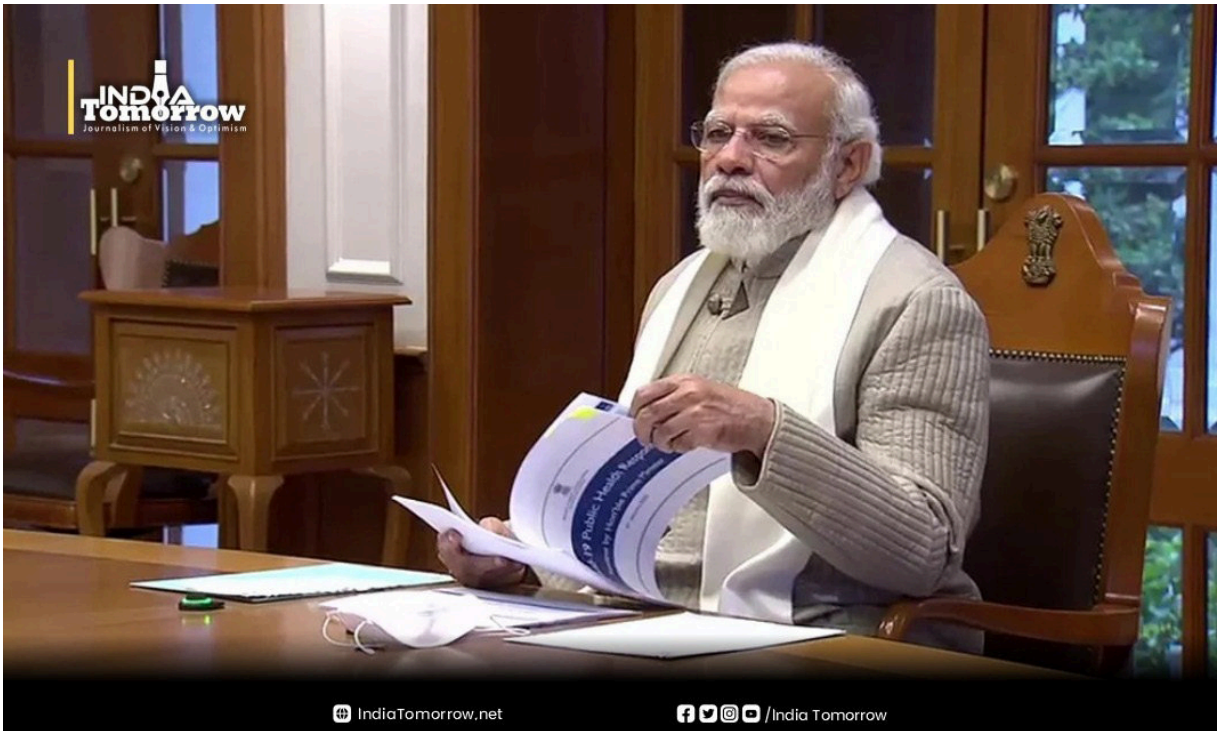

में कहा, "हम देश में नफ़रत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है।" रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में 108 पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रमुख नामों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रहे टीकेए नायर शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है, "पूर्व नौकरशाह के रूप में हम आम तौर पर ख़ुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तेज़ गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वह हमें बोलने और अपना ग़ुस्सा तथा पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है।" पत्र में पिछले कई सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफ़रत पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

हिंदू बहनों ने पिता की इच्छानुसार ईदगाह को दान की 4 बीघा ज़मीन

उत्तराखंड के काशीपुर में दो हिन्दू बहनों ने गत दिनों ईदगाह को 4 बीघा ज़मीन दान करके साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल क़ायम की है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। काशीपुर की दो बहनों ने अपने दिवंगत पिता की इच्छानुसार चार बीघा ज़मीन ईदगाह के विस्तार के लिए दान दिया है।

समाचारों के अनुसार दोनों विवाहित बहनों के पारिवारिक सदस्यों ने काशीपुर पहुंचकर ईदगाह कमेटी को ज़मीन का क़ब्ज़ा भी दे दिया। अमर उजाला में छपी ख़बर के अनुसार, ईदगाह कमेटी ने बुनियाद खुदवाकर बाउंड्री का काम भी शुरू



कर दिया है। दान की गई ज़मीन की क़ीमत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

दिवंगत ब्रजनंदन चार बीघा ज़मीन ईदगाह के लिए दान करने के इच्छुक थे, लेकिन यह रक़बा उनकी दोनों बेटियों सरोज रस्तोगी और अनीता रस्तोगी के नाम पर था, इसलिए वह दान नहीं कर सके और उनका देहांत 25 जनवरी 2003 को हो गया। उन्होंने अपने निधन 25 जनवरी 2003 से पूर्व ईदगाह को ज़मीन दान करने की इच्छा जताई थी। हालांकि, उनके निधन के बाद यह मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में उनकी बेटियों सरोज रस्तोगी और अनीता रस्तोगी को पिता की इच्छा के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने ज़मीन दान करने का निश्चय किया और भाई राकेश रस्तोगी की मदद से ईदगाह कमेटी के सदर हसीन ख़ान से संपर्क कर ज़मीन दान करने की इच्छा जताई। समाचारों के अनुसार, दोनों बहनों की सहमति पर सरोज के पति सुरेंद्रवीर रस्तोगी और बेटे विश्ववीर रस्तोगी के साथ ही अनीता के बेटे अभिषेक रस्तोगी काशीपुर पहुंचे और ईदगाह के सदर हसीन ख़ान की मौजूदगी में लेखपाल की मौजूदगी में ज़मीन की पैमाइश कराई और ज़मीन को ईदगाह के क़ब्ज़े में दे दिया। ईदगाह कमेटी ने दोनों बहनों का आभार जताया और इसे एकता और सौहार्द के लिए मिसाल बताया।

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी: जमाअत इस्लामी हिन्द



देश के विभिन्न राज्यों और हिस्सों में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन जमाअत इस्लामी हिन्द ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाक़ात करने की बात कही है।

हाल में ही दिल्ली के जहांगीरपुरी और राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश के राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दंगा प्रभावित इलाक़ों का दौरा किया था, जिसमें जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष (अमीर)) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, वेलफेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास, अध्यक्ष मजलिसे मुशावरत नावेद हामिद, नदीम ख़ान फाउंडर, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट और जमाअत अहले हदीस के अमीर मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी सलफ़ी भी शामिल थे। दौरे को लेकर जमाअत इस्लामी हिन्द ने एक प्रेस कांफ्रेंस भी की और उस पर अपनी बात रखी। जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष मुहम्मद सलीम इंजीनियर ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो घटना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में हुई हैं यह बहुत ही संगीन है और हमारी टीम राजस्थान का दौरा करके आई है और लोगों के हालात को जाना, मुमकिन मदद की कोशिश की जाएगी। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यह मसला मुल्क का भी है, इसलिए सिर्फ़ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी को मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा। मुहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि हम बहुत जल्द प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से समय लेकर उनसे मुलाक़ात करने की कोशिश करेंगे और अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे।

समानता और राष्ट्रीय एकता का संदेश



हम सब एक ईश्वर के बंदे हैं, हम सबका ईश्वर एक ही है और सारे इन्सान एक मां-बाप की सन्तान हैं और बराबर हैं। ये इस्लाम का मूल संदेश है। आज हमारे देश में मानव समानता के संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन्सान को बांटना, उनके बीच नफ़रत को बढ़ावा देना, ये किसी भी मज़हब का संदेश नहीं हो सकता। बंटवारा कैंसर के कोशिका की तरह से है जो बढ़ता ही चला जाता है और शरीर को नष्ट करके ही रुकता है। किसी समाज में जात-पात, भाषा एवं क्षेत्र और धर्म एवं समुदाय की बुनियाद पर इन्सानों को बांटना आरंभ करता है तो फिर यह रुकता नहीं है। हर गंभीर नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह बंटवारे के इस सिलसिले को रोकने के लिए आगे बढ़े। यही ईदुल-फ़ित्र का असल संदेश है और इसी संदेश को लेकर हमने आप सबको यहां जमा होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बातें जमाअत इस्लामी हिन्द के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने गत दिनों कंस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित ईद मिलन के अवसर पर कहीं। ईद मिलन का यह प्रोग्राम जमाअत इस्लामी हिन्द द्वारा कंस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित किया गया था जिसमें देश भर के कई गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कई देशों के राजदूत भी शामिल हुए। इनमें फ़िलिस्तीन के राजदूत श्री अदनान अबुल हैजा, ईरान के राजदूत श्री डॉक्टर अली चंगेज़ी, तुर्की दूतावास से हेड ऑफ़ दी मिशन याव ज जान और अमेरिका दूतावास के कल्चरल एटैची शामिल थे।

इनके अतिरिक्त जमीअत अहले हदीस के अमीर मौलाना असग़र अली एमाम सल्फ़ी मेहदी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद, जमीअत उलमा हिन्द के सचिव मौलाना नियाज़ अहमद, 'दी हिन्दू' वरिष्ठ पत्रकार ज़ियाउस्सलाम, पूर्व सांसद मुहम्मद अदीब, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर कमाल फ़ारूक़ी, ऑल इंडिया कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन क़ुरैशी, सांसद कुंवर दानिश, मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर, राजनीतिज्ञ एवं जय किसान आंदोलन के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रोफ़ेसर अपूर्वानन्द, बहाई कम्यूनिटी के डॉक्टर एके मर्चेंट, धर्म संसद के संस्थापक गोस्वामी सुशील जी महाराज, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, राम कृष्ण मीशन के स्वामी दीप नित्या, फादर बेंटू, इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस एण्ड हार्मनी के निदेशक फादर एम डी थामस, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के महासचिव डॉक्टर जॉन दयाल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ़ एडवाइजर पदमजीत सिंह चण्डूक, भारतीय भाषा सम्मेलन के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हुए।

अमीर जमाअत इस्लामी हिन्द ने अपने संदेश में कहा कि हम सब विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले और देश के विभिन्न हिस्सों से संबंध रखने वाले एकजुट होकर इस देश को एकीकृत रखने और नफ़रत और सांप्रदायिकता जैसे अभिशाप से बचाने की चिंता करें।



ठाकुर का कुआं

कहानी



मुंशी प्रेमचंद

जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख़्त बदबू आई। गंगी से बोला,''यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है!''

गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई, तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी! लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से?

ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं।

जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला,''अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं।''

गंगी ने पानी न दिया। ख़राब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी ख़राबी जाती रहती है। बोली,''यह पानी कैसे पिओगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं।''

जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा,''पानी कहां से लाएगी?''

''ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं। क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे?''

''हाथ-पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म-देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूजी एक के पांच लेंगे। ग़रीबों का दर्द कौन समझता है! हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे?''

इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया।

रात के नौ बजे थे। थके-मांदे मज़दूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाज़े पर दस-पांच बेफ़िक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न ज़माना रहा है, न मौक़ा। क़ानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार

को एक ख़ास मुक़दमे में रिश्वत दी और साफ़ निकल गए। कितनी अक़्लमंदी से एक मार्के के मुक़दमे की नक़ल ले आए। नाजिर और मोहतमिम, सभी कहते थे, नक़ल नहीं मिल सकती। कोई पचास मांगता, कोई सौ। यहां बेपैसे-कौड़ी नक़ल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची।

कुप्पी की धुंधली रौशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौक़े का इंतज़ार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ़ ये बदनसीब नहीं भर सकते।

गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा,'हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं? यहां तो जितने हैं, एक-से-एक छंटे हैं। चोरी ये करें, जाल-फरेब ये करें, झूठे मुक़दमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते है। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस-किस बात में हम से ऊंचे हैं, हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं, तो रस-भरी आंख से देखने लगते हैं। जैसे सबकी छाती पर सांप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं!'

कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक-धक करने लगी। कहीं देख लें तो ग़ज़ब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। 'कब इन लोगों को दया आती है किसी पर! बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं?'

कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आयी थीं। इनमें बात हो रही थी।

''खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं।''

''हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है।''

''हां, यह तो न हुआ कि कलसिया



उठाकर भर लाते। बस, हुकुम चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं।''

''लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी-कपड़ा नहीं पातीं? दस-पांच रुपए भी छीन-झपटकर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं!''

''मत लजाओ, दीदी! छिन-भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता! यहां काम करते-करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता।''

दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफ़िक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ-बूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी, विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था।

उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं-बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के क़िले में सुराख़ कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मज़बूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया।

घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता। ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहज़ोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से न खींच सकता था।

गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा।

गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं।

ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ़ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी।

घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला-गंदा पानी पी रहा है। ■■

अंधकार से प्रकाश की ओर



आख़िरी पन्ना



नसीम ग़ाज़ी

आज बहुत-सी समस्याओं की अस्ल वजह एक-दूसरे के बारे में सही जानकारी का न होना है। यह बड़े दुख की बात है कि जानकारी हासिल करने के इतने अधिक संसाधन मौजूद होते हुए भी हम सभ्य एवं शिक्षित कहे जाने वाले लोग परस्पर एक-दूसरे के बारे में अंधेरे में रहते हैं। जानकारी न होने और द्वेष के कारण ऐसा भी होता है कि मनुष्य ऐसी बात का दुश्मन हो जाता है जो वास्तव में उसकी भलाई और कल्याण की है। ऐसा ही कुछ इस्लाम और उसकी शिक्षाओं के साथ हुआ है और बराबर हो रहा है।

आज अज़ान और नमाज़ के बारे में जानकारी न होने की वजह से बड़ी भ्रान्तियां पाई जाती हैं। यह बात उस समय और अधिक दुखद हो जाती है जब बिना सही जानकारी के इस्लाम की इस पवित्र एवं कल्याणकारी उपासना के बारे में बेझिझक अनुचित टीका-टिप्पणी कर दी जाती है और उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का कष्ट तक नहीं किया जाता। इस नीति को अपनाने वाले समाज के अनेक वर्गों के लोग हैं– शिक्षित भी हैं और जन-सामान्य भी।

बहुत-से लोग अज्ञानतावश यह समझते हैं कि अज़ान में अकबर बादशाह को पुकारा जाता है। कबीरदास जैसे महापुरुष तक ने भी अपनी अनभिज्ञता के कारण अज़ान के बारे में यह कह डाला–

कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लिया बनाय।
तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय।।

हमें और सम्पूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पैदा किया है। जीवन-यापन के लिए हमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उन सभी को उसी ने जुटाया है। जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है। वही पालनहार है। जीविका उसी के दिए मिलती है। विनती और प्रार्थनाओं का सुनने वाला और मुसीबत में मदद करने वाला वही है। वास्तव में उसके सिवा कोई हमें लाभ या हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता। दुनिया में जो कुछ है उसका वास्तविक स्वामी ईश्वर ही है। वास्तविक शासक भी वही है। दुनिया का यह कारखाना उसी के चलाए चल रहा है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई साझीदार नहीं–न उसके अस्तित्व में, न उसके गुणों में और न उसके अधिकारों में।

इस्लाम नाम किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश या किसी अन्य वस्तु के नाम पर नहीं, बल्कि अपने विशेष गुणों के कारण रखा गया है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है 'आज्ञापालन और समर्पण'। इस्लाम वास्तव में नाम है स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने और उसके आदेशों का स्वेच्छापूर्वक पालन का। इस्लाम की मूल शिक्षा यह है कि बन्दगी और आज्ञापालन केवल ईश्वर ही का किया जाए। ईश्वर ही को

उपास्य बनाया जाए, उसी की पूजा और उपासना की जाए। किसी अन्य के आगे अपना सिर न झुकाया जाए और सम्पूर्ण जीवन प्रेमपूर्वक ईश्वर की दासता और उसके आज्ञापालन में व्यतीत हो।

इन बातों को हमेशा याद रखने, ईश्वर की दासता का कर्तव्य निभाने, उसके उपकारों पर आभार व्यक्त करने, ईश्वर के सामने अपनी दासता का प्रदर्शन करने तथा ईश्वर की महानता और सत्ता को स्वीकार करने की अभिव्यक्ति के लिए इस्लाम ने जो उपासना-पद्धति निर्धारित की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपासना 'नमाज़' है।

नमाज़ अगर सोच-समझकर और पूरे होश के साथ पढ़ी जाए तो वह न केवल यह कि मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को विकसित करती है, बल्कि मनुष्य के सांसारिक जीवन को बुराइयों और दुर्गुणों से मुक्त करने और उसे एक उत्तरदायी और सज्जन पुरुष बनाने की भी अपने अन्दर शक्ति रखती है। यह तथ्य नमाज़ के पूरे स्वरूप से अभिलक्षित होता है। क़ुरआन में नमाज़ का उद्देश्य बताते हुए ईश्वर ने कहा है–''निस्संदेह नमाज़ अश्लील कर्मों और बुरी बातों से रोक देती है।'' (क़ुरआन, 29: 45)

जो लोग देखने में तो नमाज़ पढ़ते हैं किन्तु नमाज़ की आत्मा और उसकी अपेक्षाओं से अनभिज्ञ और बेपरवाह हैं, उनके बारे में क़ुरआन कहता है–

''तबाही है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ों (की अपेक्षाओं) से बेपरवाह हैं। ऐसे लोग सिर्फ़ दिखावा करने वाले हैं, और उनका हाल यह है कि (ज़रूरतमंदों को) छोटी-छोटी चीज़ें तक देने से इन्कार कर देते हैं।''

(क़ुरआन, 107: 4-7)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है–''जिसकी नमाज़ ने उसे अश्लील और बुरे कर्मों से न रोका, उससे तो वह ईश्वर से और अधिक दूर हो गया।''

इस्लाम को अपेक्षित यह है कि मानव-जीवन नमाज़ के अनुकूल हो, नमाज़ जीवन का सारांश और मानव जीवन नमाज़ की व्याख्या सिद्ध हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नमाज़ समझ-बूझकर पढ़ी जाए। नमाज़ पढ़ते समय मनुष्य को यह ध्यान रहे कि वह अपने पालनहार प्रभु के समक्ष खड़ा है और उसी से वह विनती-प्रार्थना कर रहा है। यह ध्यान तो अवश्य मन में रहना चाहिए कि ईश्वर उसे देख रहा है और उसकी बातें सुन रहा है। नमाज़ से पूरा लाभ उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अपना आत्म-निरीक्षण करता रहे और नमाज़ में उसने अपने प्रभु को जो भी वचन दिए हैं, उनको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करे।

नमाज़ पढ़ने के लिए मन की शुद्धता के अलावा मनुष्य के शरीर, वस्त्र और स्थान का स्वच्छ होना भी अनिवार्य है। दिन में पांच बार हर नमाज़ (ईश्वर की उपासना) से पहले अज़ान दी जाती है। कुछ लोग जानकारी न होने की वजह से यह समझते हैं कि अज़ान में चीख-चीखकर ईश्वर को पुकारा जाता है। यह विचार बिल्कुल ग़लत और अज्ञानता पर आधारित है। 'अज़ान' का अर्थ है 'लोगों को नमाज़ के लिए बुलाना'। एक व्यक्ति, जिसे 'मुअज़्ज़िन' यानी अज़ान देने वाला कहा जाता है, बुलन्द आवाज़ से ईश्वर का वास्ता देकर लोगों को सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज़ के लिए पुकारता है। अज़ान अरबी भाषा में कही जाती है, जिसके बोल इस प्रकार हैं–

अल्लाहु-अकबर। अल्लाहु-अकबर।

''ईश्वर ही महान है। ईश्वर ही महान है।''

अश्हदु-अल्ला इला-ह इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह।

''मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं है।''

अश्हदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह। अश्हदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह।

''मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल०) ईश्वर के सन्देष्टा हैं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल०) ईश्वर के सन्देष्टा हैं।''

हय-य अलस्सलाह। हय-य अलस्सलाह।

''आओ नमाज़ की ओर। आओ नमाज़ की ओर।''

हय-य अलल फ़लाह। हय-य अलल फ़लाह।

''आओ सफलता एवं कल्याण की ओर। आओ सफलता एवं कल्याण की ओर।''

अल्लाहु-अकबर। अल्लाहु-अकबर।

''ईश्वर ही महान है। ईश्वर ही महान है।''

ल इला-ह इल्लल्लाह

''ईश्वर के सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं है।''

नोट : सूर्योदय से पूर्व की नमाज़ के लिए जो अज़ान दी जाती है उसमें ये बोल शामिल किए जाते हैं–

अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन-नौम। अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन-नौम।

''नमाज़ नींद से उत्तम है। नमाज़ नींद से उत्तम है।''

यह है अज़ान और उसके मंगलकारी बोल। इसके द्वारा उन सभी लोगों को नमाज़ के लिए पुकारा जाता है जो एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और मुहम्मद (सल्ल०) को ईश्वर का आख़िरी पैग़म्बर और सन्देष्टा मानते हैं। ■■


اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ اِمام مالک:705)
With Best Compliment from
sagar
SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES
Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

KANTI Monthly, New Delhi
JUNE 2022
Posted on 20-21 May 2022
Published on 18 May 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

